<u>भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फाइल संख्या 7/12/2022-डीजीटीआर
भारत सरकार, वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांकः 20 दिसंबर, 2022

<u>अंतिम जांच परिणाम</u>

<u>अधिसूचना</u>

<u>(मामला संख्या एडी (एसएसआर)-04/2022)</u>

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मोनोइसोप्रोपाइलामाइन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच।

फा. सं. 7/12/2022-डीजीटीआरः समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) को चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद 'संबद्ध देश' कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मोनोइसोप्रोपाइलमाइन (जिसे इसके बाद "एमआईपीए" अथवा 'संबद्ध सामान' अथवा 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'पीयूसी' कहा गया है) के आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाने के लिए निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करने की मांग करते हुए अल्काइल एमाइन केमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' अथवा 'घरेलू उद्योग' कहा गया है) से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. 14/10/2016-डीजीएडी द्वारा शुरू की गई थी। विवादित मूल जांच में अंतिम जांच परिणाम दिनांक 12 फरवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 14/46/2016-डीजीएडी द्वारा जारी किए गए थे जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी। दिनांक 21 मार्च, 2018 की अधिसूचना संख्या 14/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए गए थे। उक्त शुल्क 5 वर्ष की अवधि के लिए लगाए गए थे और 20 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले हैं।

2. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले न हटाया गया हो, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी होना बंद हो जाएगा और प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे यह समीक्षा करें कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।

3. इसके अतिरिक्त, नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान हैः

"अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क, उसके लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।"

4. उपर्युक्तानुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर समीक्षा करनी होती है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।

5. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए और यह जांच करने के लिए कि उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 15 सितंबर, 2022 की अधिसूचना संख्या 7/12/2022-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

6. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में 12 फरवरी, 2018 के अंतिम जांच परिणाम संख्या 14/46/2016-डीजीएडी और 21 मार्च, 2018 की अधिसूचना संख्या 14/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

7. इस जांच के संबंध में यहां नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्रवाई करने से पूर्व पाटनरोधी आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 15 सितंबर, 2022 को सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों एवं निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा उपलब्ध सूचना के अनुसार घरेलू उद्योग को जांच की शुरूआत की अधिसूचना की प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में संगत सूचना उपलब्ध कराएं और निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने अनुरोध दें।

घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देश के दूतावास को भी आवेदन पत्र के अगोपनीय रुपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।

ङ. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली के दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति उत्पादकों/निर्यातकों को संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों सहित उन्हें भेजी गई थी।

च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावलियां भेजीं:

(i) ताइझोउ जियानये केमिकल कंपनी लिमिटेड
(ii) झेजियांग जिन्हुआ केमिकल कंपनी लिमिटेड
(iii) देझोउ डेटियन केमिकल कंपनी लिमिटेड
(iv) ताइझोउ जियानये केमिकल कंपनी लिमिटेड
(v) अनहुई हाओयुआन केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड

छ. संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा जारी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर नहीं दिया अथवा दायर नहीं किया।

ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजीं।

(i) कृष्णा सोल्वेकेम लिमिटेड
(ii) ओसी स्पेशलिटीज प्रा. लिमिटेड
(iii) के रसिकलाल एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
(iv) न्यूट्रॉन फार्मास्युटिकल्स प्रा. लिमिटेड
(v) मेडी फार्मा ड्रग हाउस
(vi) वीनस इंटरनेशनल
(vii) एग्रो लाइफ साइंस कॉर्पोरेशन
(viii) कीमो इंडिया
(ix) ओरियन केम प्रा. लिमिटेड
(x) लियो केमप्लास्ट प्रा. लिमिटेड
(xi) केतन केमिकल कॉर्पोरेशन
(xii) रत्नचंद एंड कंपनी
(xiii) टीएएससी केमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड
(xiv) लक्ष्मी सरस केम टेक प्रा. लिमिटेड

(xv) कोपरान रिसर्च लेबोरेटरीज लिमिटेड
(xvi) कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड
(xvii) इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड
(xviii) अतुल लिमिटेड
(xix) फ्लेमिंग लेबोरेटरीज लिमिटेड
(xx) एक्सेल क्रॉप केयर लिमिटेड
(xxi) वरदंत लाइफ साइंसेज प्रा. लिमिटेड
(xxii) जय श्री रसायन उद्योग लिमिटेड
(xxiii) पॉलीड्रग लैबोरेटरीज प्रा. लिमिटेड
(xxiv) सीटीएक्स लाइफ साइंसेज प्रा. लिमिटेड
(xxv) आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड
(xxvi) एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
(xxvii) मल्लादी ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
(xxviii) मेघमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
(xxix) अमरी इंडिया प्रा. लिमिटेड
(xxx) क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन प्रा. लिमिटेड
(xxxi) हेरानबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(xxxii) सैंग्रोस लेबोरेटरीज प्रा. लिमिटेड
(xxxiii) एग्रो एलाइड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

झ. निम्नलिखित प्रयोक्ताओं ने प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है: -

(i) मेघमनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(ii) सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड

ञ. इसके अतिरिक्त, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड, क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया और एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अनुरोध दायर किए हैं।

ट. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल के माध्यम से ई-फाइल के रूप में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराया।

ठ. चूंकि वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) द्वारा आयात आंकड़ों का लेन-देन-वार विवरण प्रदान नहीं किया जा सका, अतः प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से क्षति अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों

के लेनदेन-वार विवरण प्रदान करने के लिए कहा। प्राधिकारी ने लेन-देन-वार आंकड़ों की उचित जांच की है तथा संबद्ध आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

ड. क्षतिरहित कीमत (जिसे यहां आगे "एनआईपी" कहा गया है) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) तथा नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और उपयुक्त लाभ के आधार पर निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

ढ. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना/आंकड़ों का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया है और इस अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए उस पर विश्वास किया गया है। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई थी। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के परिसरों में वास्तविक सत्यापन भी किया।

ण. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण अवधि 2018-19, 2019-20, 2020-21 और जांच की अवधि मानी गई है।

त. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करने के लिए 10 नवंबर, 2020 को मौखिक सुनवाई आयोजित की। मौखिक सुनवाई में जिन पक्षकारों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का अनुरोध किया गया था और उसके बाद यदि कोई प्रत्युत्तर अनुरोध हैं, तो वे दायर करने का अनुरोध किया गया था। पक्षकारों ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ अपने अगोपनीय अनुरोध साझा किए और उन्हें अपने खंडन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।

थ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराएं।

द. इस जांच में अनिवार्य तथ्यों वाला एक प्रकटन विवरण जो अंतिम जांच परिणामों का आधार बन सकता है, 13.12.2022 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को इस पर टिप्पणी देने के लिए 19.12.2022 तक का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण संबंधी टिप्पणियों पर उन्हें संगत पाए जाने की सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में विचार किया गया हे।

ध. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इनकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में रिकॉर्ड किया है।

न. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और दी गई सूचनाओं पर उस सीमा तक विचार किया है जिस सीमा तक वे साक्ष्यों से समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत माने गए हैं। प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के दस्तावेजों की आगे जांच करेंगे, जो अंतिम जांच परिणाम के समय निष्कर्षों के लिए आधार बनेंगे।

प. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 75.37 रुपये है।

फ. इस अंतिम जांच परिणाम में '***' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना और प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अंतर्गत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद ("पीयूसी") और समान वस्तु</u>

8. विचाराधीन उत्पाद "मोनोइसोप्रोपाइलामाइन" है, जिसे एमआईपीए के रूप में भी जाना जाता है। मोनोइसोप्रोपाइलामाइन एमाइन के रूप में एक ऑर्गेनिक कम्पाउंड है। यह एक आधार है, जैसा कि एमाइन के लिए विशिष्ट है। यह अमोनिया जैसी गंध वाला एक हाइग्रोस्कोपिक रंगहीन द्रव है।

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

9. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

ग.2 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

10. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

क. चूंकि वर्तमान जांच मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा से संबंधित है, अतः विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया था।

ख. इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है।

ग. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद आयातित उत्पाद की समान वस्तु बना हुआ है।

घ. यह सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के उपशीर्ष 29211190 और 29211990 के तहत अध्याय 29 के अंतर्गत आयात किया जाता है।

ङ. एमआईपीए निर्जल (99.5%) रूप में उत्पादित किया जाता है। निर्जल रूप में पानी मिलाकर पतला रूप प्राप्त किया जाता है जो एमआईपीए की सांद्रता को 70% तक कम कर देता है। यह वाणिज्यिक रूप से दोनों निर्जल रूप में बेचा जाता है और 70% रूप में पतला होता है। पतला रूप प्रकृति में खतरनाक नहीं है और इसे आसानी से आयात किया जा सकता है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो मूल जांच में परिभाषित है। मूल जांच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद को यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है -

> *"6. विचाराधीन उत्पाद "मोनोइसोप्रोपाइलामाइन" है, जिसे एमआईपीए के रूप में भी जाना जाता है। मोनोइसोप्रोपाइलामाइन एमाइन के रूप में एक ऑर्गेनिक कम्पाउंड है। यह एक आधार है, जैसा कि एमाइन के लिए विशिष्ट है। यह अमोनिया जैसी गंध वाला एक हाइग्रोस्कोपिक रंगहीन द्रव है। इसका गलनांक -95.2 °C है और इसका क्वथनांक 32.4 °C है। यह पानी के साथ मिश्रणीय*

है। यह -37 डिग्री सेल्सियस पर फ्लैश प्वाइंट के साथ अत्यधिक ज्वलनशील है। एमआईपीए निर्जल (99.5%) रूप में निर्मित होता है। निर्जल रूप में पानी मिलाकर पतला रूप प्राप्त किया जाता है जहां खरीददार की आवश्यकता के अनुसार सांद्रता स्तर वांछित स्तर तक कम हो जाता है। यह अनुप्रयोग या अंतिम उपयोग के आधार पर निर्जल रूप और जलीय रूप दोनों में व्यावसायिक रूप से बेचा जाता है।

7. विचाराधीन उत्पाद के मुख्य प्रयोग ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड फॉर्मूलेशन में हैं, जो एट्राज़ीन (एक अन्य हर्बिसाइड) का एक प्रमुख घटक, प्लास्टिक के लिए एक नियामक एजेंट, कोटिंग सामग्री, प्लास्टिक, कीटनाशक, रबर रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य के कार्बनिक संश्लेषण में पेट्रोलियम उद्योग में एक योजक के रूप में" मध्यवर्ती है।

12. विचाराधीन उत्पाद में कोई समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण कोड नहीं है और इसे सीमा टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपशीर्ष 29211190 और 29211990 के तहत अध्याय 29 के अंतर्गत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और संबद्ध जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विशिष्टियों, तकनीकी विशिष्टियों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन, और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित सामानों से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से परस्पर परिवर्तनीय हैं। तद्नुसार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की समान वस्तु है और विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहता है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया था ।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

14. घरेलू उद्योग के क्षेत्र अथवा उसके आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

घ.2 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

15. आवेदक ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है।
ख. आवेदक ने न तो संबद्ध सामान का आयात किया है और न ही यह संबद्ध देश के किसी निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबद्ध है।
ग. यह आवेदन पत्र नियमावली में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. यह आवेदन पत्र अल्काइल एमाइन केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक न तो संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबद्ध है और न ही नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत में संबद्ध सामानों के किसी आयातक से संबद्ध है। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा घरेलू उद्योग के क्षेत्र के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है। अतः, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत परिभाषित 'घरेलू उद्योग' है। यहां तक कि यद्यपि आधार की आवश्यकताएं समीक्षा जांचों पर लागू नहीं होती हैं, तथापि प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि यह आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ङ. विविध अनुरोध

ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

17. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. निर्णायक समीक्षा जांच में शुल्कों का विस्तार अपवादात्मक प्रकृति का होता है जिसके लिए असाधारण स्थितियों की आवश्यकता होती है।

ख. आवेदक ने आयात आंकड़ों के स्रोत का प्रकटन नहीं किया है।

ग. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आयात के आंकड़े व्यापार मैप जैसे विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों से असंगत हैं।

घ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि अंतिम निर्धारण के प्रयोजन के लिए केवल डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास करें और इसे प्रयोक्ता उद्योग के साथ साझा करें।

ङ. आवेदक व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अंतर्गत आवश्यक दो अलग-अलग शीर्षों के अंतर्गत घरेलू बिक्री मात्रा के साथ-साथ बिक्री प्रदान करने में विफल रहा है।

च. आवेदक ने व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुसार नियोजित पूंजी के लिए उत्पादकता, मालसूची, पीबीआईटी के लिए प्रतिशत के रूप में औसत उद्योग मानदंड से संबंधित आंकड़े नहीं दिए हैं।

छ. आवेदक व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुसार आरएंडडी खर्चों, जुटाई गई धनराशि, प्रति यूनिट बिक्री की लागत (निर्यात) से संबंधित आंकड़ें देने में विफल रहा है।

ज. आवेदक ने व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुसार क्षति रहित कीमत की सूचना नहीं दी है।

झ. निर्णायक समीक्षा शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से तब जब पाटन और क्षति[1] के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना सिद्ध करने के लिए विधिवत प्रमाणित आवेदन पत्र नहीं दिया गया है, जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केसोराम रेयन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी[2] में निर्धारित किया गया है।

ञ. घरेलू उद्योग के दावे के विपरीत, मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पूर्व समीक्षा जांच अनिवार्य रूप से शुरू करने का कोई कारण नहीं है।

ट. आवेदक ने उल्लेख किया है कि एमाइन की खतरनाक प्रकृति के कारण आसानी से परिवहन नहीं किया जा सकता है और आयात आसान नहीं है तथा लोग उचित कीमत पर स्थानीय रूप से निर्मित एमाइन का उपयोग करना पसंद करते हैं।

---

[1] पृष्ठ 78 पर इंफ्रा नोट 2

[2] 2017 एसीसी ऑनलाइन दिल्ली 11479

ङ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

18. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. उत्पाद को कई उत्पाद विवरणों जैसे कि मोनोइसोप्रोपाइलमाइन, मोनो आइसोप्रोपाइलमाइन, मोनो आइसो प्रोपाइल एमाइन, आइसोप्रोपाइलमाइन आदि के अंतर्गत आयात किया जाता है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे आयात आंकड़ें प्राप्त करते समय कृपया उपर्युक्त विवरणों पर विचार करें।

ख. डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में सूचित किए गए आयातों की मात्रा न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका से बल्कि संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के संबंध में भी कम सूचित की जा सकती है।

ग. प्राधिकारी से अनुरोध है कि कृपया डीजीसीआईएंडएस के लेनदेन-वार आंकड़ों पर विचार करें।

घ. क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया और एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यह सिद्ध नहीं किया है कि एसोसिएशन को इसके सदस्यों और विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं द्वारा वर्तमान जांच में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है।

ङ. एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया में सैंतीस से अधिक सदस्य हैं और केवल सुमितामो केमिकल इंडस्ट्रीज ने भाग लिया है। इसी तरह, क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया में लगभग चालीस सदस्य हैं, लेकिन इसके केवल दो सदस्यों ने भाग लिया है।

ङ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच स्वयं को प्रथम दृष्टया यह संतुष्ट करने के बाद घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों और सूचनाओं के आधार पर शुरू की गई थी कि पाटन और क्षति की संभावना के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, जांच की शुरूआत के बाद, आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक घरेलू उद्योग से सूचना मांगी गई है और घरेलू उद्योग द्वारा दी गई है।

20. गोपनीय सूचना के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया हैः

(1) नियम 6 के उपनियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

21. प्राधिकारी ने अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराया।

22. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के दावों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा क्षति अथवा संभावना विश्लेषण के उद्देश्य से मानी गई सूचना को घरेलू उद्योग द्वारा अगोपनीय रुपांतर में उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त, जहां तक उद्योग मानदंडों के तर्क का संबंध है, ये प्राधिकारी द्वारा जारी संशोधित लागत निर्धारण प्रारूपों का हिस्सा नहीं हैं। अतः यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता है।

23. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7 के अनुसार ऐसे दावों की पर्याप्तता के लिए घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोधों और उत्तरों के भाग

के रूप में दी गई गोपनीय सूचना की जांच की। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहाँ भी आवश्यक हुआ है, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है, और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है। क्षति रहित कीमत से संबंधित सूचना देने से संबंधित दावों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि वह संबद्ध व्यापार सूचना के अनुसार दिया गया था।

24. यह नोट किया जाता है कि जांच से संबंधित सभी हितबद्ध पक्षकारों ने डीजीसीआईएंडएस के लेनदेन-वार आंकड़ों पर विचार करने का अनुरोध किया था। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात आंकड़े अविश्वसनीय हैं क्योंकि घरेलू उद्योग अपना स्रोत प्रदान करने में विफल रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि डीजीसीआईएंडएस के लेनदेन-वार आंकड़े प्रदान नहीं किए जा सके, अतः प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के आधार पर अपनी जांच का आधार बनाया है।

च. <u>संबद्ध देश से पाटन की निरंतरता-</u> <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

25. इस जांच प्रक्रिया के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

क. इस तथ्य को देखते हुए कि आवेदक एक बहु-उत्पाद कंपनी है और संस्थापित क्षमता का उपयोग अन्य उत्पादों के लिए भी किया जा सकता है, यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी कृपया आवेदक के लागत आवंटन को सत्यापित करें और यह सुनिश्चित करें कि अन्य उत्पादों की लागत विचाराधीन उत्पाद की लागत को प्रभावित न करे।

ख. 'प्रतिकूल तथ्यों' के उपयोग के संबंध में आवेदक के अनुरोधों के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि 'प्रतिकूल तथ्यों' की संकल्पना विश्व व्यापार संगठन कानून में मौजूद नहीं है।

ग. यूनाइटेड स्टेट्स- कुछ उत्पादों[3] पर पाटनरोधी और प्रतिकारी शुल्क की एक हालिया पैनल रिपोर्ट में, यह पाया गया था कि एक निर्यातक द्वारा असहयोग के

[3] पैनल रिपोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स - कुछ उत्पादों पर पाटनरोधी और प्रतिकारी शुल्क तथा उपलब्ध तथ्यों का उपयोग, पैरा 7.28 - 7.32।

मामले में, जांच प्राधिकारी को केवल ऐसे तथ्यों पर विश्वास करना चाहिए जो 'तर्कसंगत रूप से आवश्यक सूचना का स्थान लें'।

घ. इस तरह की सूचना को निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से चुना जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि सूचना असहयोगी[4] निर्यातक के अनुकूल हो, तथापि सूचना असहयोग को दंडित नहीं कर सकती।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

26. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

क. चीन जन. गण. को चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य अनुबंध-I, नियमावली के नियम 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

ख. चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इस समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया है। अतः, यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी कृपया पाटन मार्जिन और संभावना निर्धारण के संबंध में प्रतिकूल तथ्य लागू करें।

ग. 11 दिसंबर 2016 को, चीन अभिगम नयाचार के केवल अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान समाप्त हो गए, लेकिन अनुच्छेद 15(क)(i) के प्रावधान जारी रहे, जिसके लिए चीन जन. गण. के उत्पादकों/निर्यातकों को यह सिद्ध करने की आवश्यकता है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं।

घ. प्राधिकारी ने हाल की सभी जांचों में चीन जन. गण. को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना है जब तक कि उत्पादक/निर्यातक यह नहीं दर्शाते कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं।

ङ. देश के स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए मूल्य सूची अथवा वाणिज्यिक बीजक व्यावसायिक रूप से संवेदनशील सूचना हैं और इसीलिए सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं हैं।

च. चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने भाग नहीं लिया है, अतः पाटन के दावे निर्विवाद हैं।

छ. यूएसए से भारी मात्रा में आयात हुए हैं और इसीलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण यूएसए से निर्यात कीमत के आधार पर किया जा सकता है।

ज. प्राधिकारी ने यूएसए के निर्यात कीमत पर आधारित सामान्य मूल्य को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया था कि ऐसे आयातों की मात्रा कम है।

---

[4] वही

डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विचार करने से आयातों की भिन्न-भिन्न मात्रा का पता चलेगा।

झ. वर्ष 2018-19 और 2019-20 में पाटन मार्जिन 40%-50% (यूएसए के निर्यात कीमत के आधार पर निर्मित सामान्य मूल्य के आधार पर) जितना अधिक था।

ञ. विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में काफी कीमत अंतर है, कभी-कभी एक ही माह के भीतर 36% तक अधिक अंतर है।

ट. चीन जन. गण. के उत्पादक किसी भी कीमत पर भारतीय बाजार में पोत भेजने के इच्छुक हैं।

ठ. भारत में आयात के समय घोषित आयात मूल्य और निर्यात के समय चीन के बंदरगाहों पर घोषित निर्यात कीमत में काफी अंतर है।

ड. जांच की अवधि के दौरान समुद्री भाड़ा काफी अधिक था और निर्यात कीमत की गणना में उस पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

<u>सामान्य मूल्य</u>

27. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में "सामान्य मूल्य" का तात्पर्य यह है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा (ख(उपधारा- (6) के

अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

28. चाइनीज एसेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैः *"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगेः*

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के अंतर्गत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा

सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

29. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि, अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना अपेक्षित है।

30. चूंकि चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक ने भाग नहीं लिया है, अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

31. आवेदक ने इस समीक्षा जांच की शुरूआत के चरण में भारत को संबद्ध सामानों के यूएसए के निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया था। आवेदक ने आगे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों तथा उचित लाभ के लिए जोड़ने के बाद भारत में समान वस्तु के उत्पादन की लागत के आधार पर भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य को पूरक बनाया।

32. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया है और यह पाया है कि यूएसए से आयात की मात्रा आवेदक द्वारा सूचित की गई मात्रा से काफी कम है। अतः, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर चीन जन. गण. के लिए निर्मित सामान्य मूल्य पर विचार किया जिसमें बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक खर्च एवं लाभ के लिए उपयुक्त अभिवृद्धि की गई। आवेदक ने दावा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात के सभी लेन-देन डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में नहीं दर्शाए गए हैं और लेनदेन-वार डीजीसीआईएंडएस आंकड़े प्राप्त करने का अनुरोध किया था। तथापि, लेन-देन-वार डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, प्राधिकारी आवेदक के दावों को सत्यापित नहीं कर पाए, लेकिन डीजी सिस्टम के आंकड़ें भी एक वास्तविक स्रोत हैं और तदनुसार सामान्य मूल्य को घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर माना गया है जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों तथा लाभ के लिए उपयुक्त अभिवृद्धि की गई है। थोक और पैक किए गए सामानों के लिए सामान्य मूल्य अलग-अलग निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

33. चीन जन. गण. से किसी उत्पादक/निर्यातक के सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आंकड़ों के आधार पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। चूंकि ये आंकड़ें सीआईएफ शर्तों पर है, अतः कारखानागत स्तर निकालने के लिए पर्याप्त समायोजन किए गए हैं। थोक और पैक किए गए सामानों के लिए निर्यात कीमत अलग-अलग निर्धारित की गई है। निर्धारित भारित औसत कारखानागत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

<u>पाटन मार्जिन</u>

34. संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है:

क्रम सं.	विवरण	किस्म	सामान्य मूल्य अमे. डॉल./ कि. ग्रा.	निर्यात कीमत अमे. डॉल./ कि. ग्रा.	पाटन मार्जिन		
					अमे. डॉल./ कि. ग्रा.	%	रेंज
1	कोई भी उत्पादक	थोक	***	***	***	***	20-30
		पैक्ड	***	***	***	***	20-30
		भारित औसत	***	***	***	***	20-30

35. उपर्युक्त के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी है।

छ. क्षति जारी रहने की संभावना - क्षति एवं कारणात्मक संपर्क की जांच

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

36. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

क. आवेदक की लाभप्रदता मूल्यह्रास और अन्य क्षमता विस्तार लागतों से प्रभावित हुई है। इस तरह की लागतों को जोड़ने से उत्पादन की लागत बढ़ गई है जिसके

परिणामस्वरूप सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है।

ख. आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट को स्वीकार किया है। उत्पादन और खपत के संबंध में आयात की मात्रा में भारी गिरावट आई है।

ग. घरेलू बिक्री में उत्पाद की मांग में वृद्धि से अधिक वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अन्य देशों से आयातों में वृद्धि के बावजूद अपने बाजार हिस्से का विस्तार करने में सक्षम था।

घ. वर्ष 2020-21 में मांग में 49 सूचकांक की वृद्धि (पिछले वर्ष की तुलना में 27 सूचकांक की वृद्धि) और अन्य देशों से आयात में 1972% की वृद्धि के बावजूद, चीन जन. गण. से आयात की मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में केवल 5% की वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि इस अवधि में आवेदक का संयंत्र दो बार बंद हो चुका है।

ङ. इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट के बावजूद, आवेदक की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 36 सूचकांक और आधार वर्ष की तुलना में 61 सूचकांक की वृद्धि हुई है।

च. आवेदक 1,65,640 रु./एमटी से 1,98,768 रुपये/मी. टन पर विचाराधीन उत्पाद की बिक्री करता रहा है और आवेदन पत्र के अनुसार क्षति रहित कीमत 1,50,000 रुपये/एमटी से 1,70,000 रु./एमटी की रेंज में है। अतः, घरेलू उद्योग समान वस्तु की बिक्री क्षति रहित कीमत पर कर रहा है अथवा उसे नगण्य क्षति हो रही है।

छ. ऐसा प्रतीत होता है कि कथित कीमत कटौती और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के बीच कोई सह-संबंध नहीं है।

ज. जांच की अवधि में एनएसआर प्रति यूनिट पिछले वर्ष के समान है, तथापि, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में पिछले वर्ष की तुलना में जबरदस्त उछाल आया है।

झ. कीमत में कोई ह्रास नहीं हुआ है क्योंकि घरेलू उद्योग का एनएसआर उसकी बिक्री की लागत के अनुरूप है।

ञ. आवेदक के लिए लागत में उतार-चढ़ाव कच्ची सामग्री की उच्च लागत, वर्ष 2020-21 में संयंत्र के बंद होने और इसकी विस्तार परियोजनाओं के कारण हुई उच्च क्षमता लागत के कारण विशेष रूप से अनियमित रहा है।

ट. घरेलू उद्योग की उत्पादन मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है और घरेलू बिक्री में तद्नुरूपी वृद्धि हुई है।

ठ. वर्ष 2020-21 की अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में हानि मुख्य रूप से घरेलू उद्योग द्वारा किए गए शटडाउन के कारण हुई है।

ड. क्षति अवधि में तीसरे देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि देखी गई है जिसने घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा ले लिया है।

ढ. चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा केवल 9% है जिसे घरेलू बाजार हिस्से का एक बड़ा हिस्सा नहीं माना जा सकता है।

ण. आवेदक ने जांच की अवधि और संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान भारी लाभ अर्जित किया है। जैसा कि आवेदक द्वारा स्वीकार किया गया है, वर्ष 2020-21 में हुई हानि "भारत सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता" के कारण थी।

त. प्राधिकारी को यह आकलन करना चाहिए कि क्या 2020-21 में आवेदक द्वारा हुई हानि को विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, या यदि अन्य उत्पादों के कारण हुई हानि को विचाराधीन उत्पाद में आवंटित किया गया है।

थ. प्राधिकारी को अपनी लाभप्रदता पर आवेदक द्वारा शुरू की गई चार विस्तार परियोजनाओं के प्रभाव की जांच करनी चाहिए।

द. आवेदक ने क्षति अवधि के दौरान अपनी नियोजित पूंजी को लगभग दुगुना कर लिया है। क्षमता विस्तार से संबंधित आवेदक की योजनाओं के कारण, इस तरह के विस्तार से संबद्ध प्रारंभिक लागतों को पूरा करने के लिए इसकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है।

ध. दोगुनी पूंजी के बावजूद, घरेलू उद्योग ने अपने आरओसीई में वर्ष-दर-वर्ष 221% तक वृद्धि देखी है।

न. आवेदक ने स्वीकार किया है कि उसने अपने प्रमुख उत्पादों एमाइन, उनके व्युत्पन्नों और विशेषता वाले रसायनों में मजबूत कर्षण के कारण अपनी शीर्ष पंक्ति तथा प्रचालन मार्जिन में काफी उछाल देखा है।

प. आवेदक की एलिफैटिक एमाइन के लिए अपनी क्षमता को 400 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की योजना है। आवेदक यह भी दावा करता है कि उसके पास विश्व में एलिफैटिक एमाइन का सबसे बड़ा संयंत्र है। विचाराधीन उत्पाद भी एक एलिफैटिक एमाइन है।

फ. आवेदक द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि से इसका निष्पादन भारी रूप से प्रभावित हुआ है।

ब. आवेदक की मूल्यह्रास लागत ने स्पष्ट रूप से इसकी लाभप्रदता को प्रभावित किया है।

भ. समान वस्तु को कम कीमत पर बेचने का आवेदक का निर्णय स्पष्ट रूप से बाजार हिस्से को आकर्षित करने का एक व्यावसायिक निर्णय है और संबद्ध आयातों से संबंधित नहीं है।

म. संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत आवेदक की बिक्री कीमत से काफी अधिक है।

य. घरेलू उद्योग ने कारणात्मक संपर्क सिद्ध नहीं किया है। शुल्क को जारी रखने की सिफारिश में एक ओर तो 'शुल्क की समाप्ति' और दूसरी ओर 'शुल्क की समाप्ति' और दूसरी ओर 'शुल्क के जारी रहने अथवा बार-बार होने' के बीच संबंध स्पष्ट रूप से सिद्ध होना चाहिए, ताकि 'शुल्क की समाप्ति' से 'पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने' की संभावना होगी।

कक. विचाराधीन उत्पाद की कीमत में महत्वपूर्ण भिन्नता के संबंध में आवेदक के तर्क के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद एक संबद्ध सामान है और कीमत में उतार-चढ़ाव के अधीन है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

37. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. मार्च, 2018 में शुल्क लगाए जाने के बाद, आवेदक मूल्य और मात्रा दोनों में अपने निष्पादन में सुधार करने में सक्षम रहा है।

ख. कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण हुए व्यवधानों ने वर्ष 2020-21 में घरेलू उद्योग के प्रचालन को प्रभावित किया।

ग. संबद्ध देश से संबद्ध आयात अभी भी भारतीय बाजार में पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर आ रहे हैं जिसने घरेलू उद्योग के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

घ. पाटित आयातों का बाजार हिस्सा काफी बना हुआ है।

ङ. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद उत्पादन, बिक्री की मात्रा और क्षमता उपयोग के मापदंडों में सुधार हुआ है। तथापि, आवेदक का क्षमता उपयोग बहुत कम है और यह अभी भी काफी निष्क्रिय क्षमताओं के साथ कार्य कर रहा है।

च. चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों की मात्रा में वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों के कारण ही गिरावट आई है।

छ. शुल्क लगाए जाने के बाद, आवेदक वर्ष 2018-19 और 2019-20 में लाभ दर्ज करने में सक्षम था। आवेदक को वर्ष 2020-21 में हानियां हुईं। आवेदक द्वारा अर्जित आय कम बनी हुई है।

ज. पूरी क्षति अवधि के दौरान आवेदक की औसत मालसूची में वृद्धि हुई है।

झ. संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत आवेदक की बिक्री कीमत से कम है और कीमत कटौती सकारात्मक है।

ञ. आवेदक द्वारा अर्जित वर्तमान लाभ मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के कारण है और पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध आयातों का उस पर ह्रासमान/न्यूनीकरण प्रभाव पड़ेगा। लागू शुल्कों से यह सुनिश्चित हुआ है कि संबद्ध आयातों से आवेदक की कीमतों पर ह्रासमान अथवा न्यूनकारी प्रभाव नहीं पड़ता है।

ट. संबद्ध सामानों की कीमतों में किसी माह विशेष में 36% की सीमा तक काफी अंतर आया है। प्रयोक्ताओं के पास निश्चित मात्रा और निश्चित कीमतों के लिए कोई संविदात्मक करार नहीं है। प्रयोक्ता कीमतों के अनुकूल होने पर आयात करते हैं।

ठ. कुल संबद्ध आयातों (85% से अधिक और शुल्क को छोड़कर कीमत) का एक स्पष्ट अनुपात घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत से कम था जिसके परिणामस्वरूप 18% तक काफी सकारात्मक कीमत कटौती हुई।

ड. घरेलू उद्योग अपनी क्षति रहित कीमत के बराबर भी कीमत प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा है।

ढ. क्षमता विस्तार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकथनों के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि वे विस्तार एलिफैटिक एमाइन संयंत्र से संबद्ध हैं जो एक पूरी तरह से भिन्न उत्पाद है। यह स्पष्ट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद ऐसे संयंत्रों पर विनिर्मित नहीं किया जा सकता।

ण. वार्षिक रिपोर्ट में बताए गए चारों विस्तारों में से कोई भी विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा इन कारणों से कोई शुल्क नहीं लगाया गया है।

त. लाभप्रदता में काफी वृद्धि के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में, निम्नलिखित अनुरोध किया गया है कि वर्ष 2020-21 की अवधि में कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि देखी गई और आवेदक को उत्पादन रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसीलिए उसे हानि उठानी पड़ी। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ है क्योंकि कच्ची सामग्री की कीमतों और

आयातों में गिरावट आई है जिसके कारण आवेदक सकारात्मक आय दर्ज करने में सक्षम रहा है। तथापि, आवेदक की स्थिति लगातार सुभेद्य बनी हुई है।

थ. संबद्ध देश की तुलना में गैर-संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा काफी कम है।

द. एक ओर हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि संबद्ध देश से अधिक मात्रा और कम कीमत वाले आयातों से क्षति नहीं हो सकती लेकिन दूसरी ओर गैर-संबद्ध देशों से कम मात्रा लेकिन अधिक कीमत वाले आयात बाजार हिस्से पर कब्जा कर सकते हैं।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

38. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में *"... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..."* घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास करना अथवा कीमत में वृद्धि रोकना है जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्वों पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

39. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार उनका विश्लेषण किया है।

40. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने क्षमता विस्तार किया है और इसीलिए मूल्यह्रास तथा ब्याज लागत अधिक होगी। तथापि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह प्रमाणित करने के लिए कि घरेलू समान उत्पाद के लिए क्षमता विस्तार किया

गया है, कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वास्तविक सत्यापन के दौरान उन्होंने हितबद्ध पक्षकार के दावों की जांच की और यह पाया गया कि किया जा रहा क्षमता विस्तार किसी अन्य उत्पाद के लिए उद्योग के दाहेज स्थान पर है जो विचाराधीन उत्पाद नहीं है। इस स्थल पर घरेलू समान उत्पाद का निर्माण नहीं किया जाता है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत की भी जांच की है और यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा दाहेज स्थान अथवा क्षमता विस्तार से संबद्ध कोई लागत नहीं लगाई गई है।

41. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने अत्यधिक क्षमताएं स्थापित की हैं जिससे उसकी उत्पादन लागत बढ़ गई है। वास्तविक सत्यापन के दौरान घरेलू उद्योग के साथ यह मुद्दा उठाया गया था, जिसमें घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया था कि क्षमताएं भारतीय मांग और निर्यात बाजार में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्थापित की गई थीं लेकिन जांच की अवधि में मांग में अत्यधिक वर्षा के कारण गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने चीन जन. गण. के उत्पादकों द्वारा तीसरे देश के पाटन का भी दावा किया है, जिसने भारतीय बाजार में चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के पाटन के अलावा निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की इसकी क्षमता को प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप उसका क्षमता उपयोग कम रहा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उन्होंने उस संयंत्र की मूल्यह्रास लागत की जांच की है जहां विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया जाता है। यह पाया गया है कि कुल बिक्री लागत में मूल्यह्रास के कारण लागत नगण्य है।

42. हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि आवेदक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसका निष्पादन 'उपयुक्त रूप से अच्छा' है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने स्पष्ट किया है कि दिए गए विवरण समग्र रूप से एमाइन डिवीजन के संबंध में हैं न कि केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में। आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के साथ एमाइन डिवीजन के प्रचालन और लाभ से राजस्व की तुलना भी दी है। यह पाया गया है कि एमाइन डिवीजन स्तर पर लाभप्रदता काफी अच्छी है। तथापि, यह नोट किया जाना चाहिए कि क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध लागत और लाभ पर विचार किया गया है।

43. वर्ष 2020-21 में निष्पादन के संबंध में, आवेदक द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में कच्ची सामग्री की कमी के साथ-साथ कच्ची सामग्री की कीमतों में काफी वृद्धि देखी गई। तथापि, संबद्ध देशों के साथ-साथ गैर-संबद्ध देशों से संबद्ध

आयातों की मात्रा में भी काफी वृद्धि हुई थी। आवेदक को कच्ची सामग्री की कमी के कारण इस अवधि के दौरान अपने उत्पादन को रोकने के लिए भी मजबूर होना पड़ा और परिणामस्वरूप उसे हानियां हुईं।

44. घरेलू उद्योग की आयात कीमत/कीमत कटौती की प्रवृत्ति और लाभप्रदता की स्थिति के बीच सह-संबंध के बारे में अनुरोधों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि यद्यपि कीमत कटौती घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत और आयात कीमत का कार्य है, तथापि लाभ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत और बिक्री लागत का प्रकार्य है। यह नोट किया जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत (पाटनरोधी शुल्क को छोड़कर) घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से लगातार कम रही है।

45. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने जानबूझकर अपनी कीमतों को कम रखा है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क सहित पहुंच कीमत काफी अधिक है और घरेलू उद्योग अधिक कीमत वसूल कर सकता था। इस संबंध में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की कीमतों की तुलना में मासिक आयात कीमत का विश्लेषण किया है। यह देखा जाएगा कि इस अवधि के दौरान आयात कीमतों में अंतर हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के कारण अपने लाभ को बढ़ाने में सक्षम था।

46. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनेक अनुरोधों को नोट करते हैं। यद्यपि प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में यथातथ्यतः अनुरोधों को हल किया गया है, तथापि घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि पाटनरोधी शुल्क के कारण उसके निष्पादन में सुधार हुआ है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पहले घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा काफी कम था और उसे हानियां हो रही थां। तथापि, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग अपनी बाजार हिस्से में सुधार करने में सक्षम रहा है और उसने लाभ दर्ज किया है। प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने के लिए कार्रवाई करने से पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, का आकलन करने के लिए घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों की विस्तृत जांच की है।

छ.3.1 मांग का आकलन

47. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत को एकमात्र भारतीय उत्पादक की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों की मात्रा के रूप में निर्धारित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	आवेदक की घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	167	125	161
2	संबद्ध देश से आयात	मी. टन	1,834	696	2,058	529
3	अन्य देशों से आयात	मी. टन	45	317	1,649	161
4	**कुल मांग**	**मी. टन**	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	123	153	113

48. यह पाया गया है कि वर्ष 2020-21 तक विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई लेकिन जांच की अवधि में गिरावट आई। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि एमआईपीए-70% का उपयोग ग्लाइफोसेट (शाकनाशी) के निर्माण में किया जाता है जिसका उपयोग खरपतवारों को हटाने के लिए किया जाता है। ग्लाइफोसेट की मांग मौसमी प्रकृति की है और जांच की अवधि में अत्यधिक वर्षा हुई थी तथा भारत के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति थी, जिसके कारण ग्लाइफोसेट की मांग में गिरावट आई और इसके परिणामस्वरूप, विचाराधीन उत्पाद की मांग पर भी प्रभाव पड़ा।

छ.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. आयातों की मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा

49. संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा के साथ-साथ अन्य देशों से आयातों के प्रभावों की प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित रूप में जांच की गई है।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	चीन जन. गण.	मी. टन	1,834	696	2,058	529
2	अन्य देश	मी. टन	45	317	1,649	161
3	के संबंध में संबद्ध देशों से आयात					

क	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	22	86	18
ख	भारतीय मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	31	73	26
ग	कुल आयात	%	98%	69%	56%	77%

50. यह देखा जाता है कि:-

क. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध देश से आयातों में वर्ष 2019-20 में गिरावट आई है। वर्ष 2020-21 में संबद्ध आयातों की मात्रा बढ़ी है लेकिन जांच की अवधि में इसमें फिर से गिरावट आई है।

ख. क्षति अवधि के दौरान गैर संबद्ध देशों से आयातों में भी वृद्धि हुई है।

ग. हैंड सैनिटाइजर के निर्माण के लिए आईपीए के विपथन से उत्पन्न कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग द्वारा सीमित आपूर्ति की वजह से वर्ष 2020-21 में संबद्ध देशों के साथ-साथ गैर-संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई।

घ. संबद्ध देश से आयातों में समग्र रूप से और जांच की अवधि में उत्पादन और खपत के संबंध में गिरावट आई है।

छ.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

51. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में तथाकथित पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हो रही है, अथवा इस तरह के आयात अन्यथा कीमतों का ह्रास करने अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए हैं, जो अन्यथा सामान्य अवधि में हुई होती।

52. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत न्यूनीकरण/ह्रास, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत कटौती

53. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत की तुलना करके कीमत कटौती की गणना की गई है।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	निवल बिक्री वसूली	₹/मी. टन	***	***	***	***
2	पहुँच कीमत	₹/मी. टन	1,05,231	91,809	1,34,436	1,64,967
3	कीमत कटौती	₹/मी. टन	***	***	***	***
4	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
5	कीमत कटौती	%	30-40%	30-40%	25-35%	0-10%

54. यह देखा जाता है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के निवल बिक्री वसूली से कम है जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत कटौती हुई है। प्राधिकारी ने लेनदेन-वार डीजी सिस्टम आंकड़ों की जांच की है और यह पाया है कि 77% आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है।

ख. कीमत न्यूनीकरण/ह्रास

55. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण अथवा ह्रास कर रहे हैं और क्या इन आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का ह्रास करने के लिए है अथवा घरेलू कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा काफी मात्रा में हुई होतीं, प्राधिकारी क्षति की अवधि में लागतों तथा कीमतों में परिवर्तनों को नोट करते हैं।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	बिक्रियों की लागत	₹/मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	126	121

2	सकल बिक्री कीमत	₹/मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	123	123
3	पहुँच कीमत	₹/मी. टन	1,05,231	91,809	1,34,436	1,64,967
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	128	157
4	पाटनरोधी शुल्क सहित पहुँच कीमत	₹/मी. टन	1,40,476	1,27,470	1,71,872	2,02,478
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	122	144

56. यह देखा जाता है कि पूरी क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम रही है। संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की लागत तथा बिक्री कीमत में वर्ष 2019-20 में लगभग समान दर से गिरावट आई लेकिन उसके बाद वर्ष 2020-21 में वृद्धि हुई और जांच की अवधि में इसमें और वृद्धि हुई। जांच की अवधि में संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत में हुई वृद्धि से अधिक है। यह भी देखा जाता है कि बिक्री कीमत में वृद्धि बिक्री लागत से मामूली अधिक है।

57. यह भी देखा जाता है संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत की कटौती कर रही है लेकिन लागू शुल्क से यह सुनिश्चित हुआ है कि ऐसे आयातों का आवेदक की कीमतों पर कोई न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव नहीं पड़ा है।

छ.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव

58. नियमावली के अनुबंध-II में यह निर्धारित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमावली में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट; घरेली कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्वों और समस्त

संगत आर्थिक मानदंडों के उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन का भी प्रावधान है। तद्नुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

59. पूरी क्षति अवधि में क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री निम्नलिखितानुसार थीः

क्रम सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**जांच की अवधि**
1	स्थापित क्षमता - संयंत्र	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
2	उत्पादन - संयंत्र	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	113	143
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	113	143
4	उत्पादन - विचाराधीन उत्पाद	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	172	130	163
5	घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	167	125	161

60. यह देखा जाता है कि :-

क. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की क्षमता विचाराधीन उत्पाद के लिए समर्पित नहीं है।

ख. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में सुधार हुआ है।

ग. घरेलू उद्योग बेकार क्षमताओं के साथ प्रचालन कर रहा है।

ख. बाजार हिस्सा

61. सम्पूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निम्नानुसार था:

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	136	82	143
2	संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	31	73	26
3	अन्य देश से आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	573	2,405	319

62. यह देखा जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है और संबद्ध देश से पाटित आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। तथापि, यह देखा जाता है कि पाटित आयातों ने क्षति अवधि के दौरान काफी बाजार हिस्सा बनाए रखा है। जांच की अवधि में संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट के बावजूद, पाटित आयातों का काफी बाजार हिस्सा बना हुआ है।

ग. लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय

63. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ के संबंध में सूचना इस प्रकार थी:

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	बिक्रियों की लागत	₹/मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	126	121
2	बिक्री कीमत	₹/मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	123	123
3	लाभ/हानि	₹/मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	(765)	782
4	लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	171	(956)	1257
5	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	197	1	272
6	पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***

	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	(278)	404
7	आरओसीई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	52	(178)	215

64. यह देखा जाता है किः

क. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से आवेदक अपनी लाभप्रदता में सुधार करने में सक्षम हुआ है।
ख. वर्ष 2019-20 में प्रति यूनिट लाभ बढ़ा है लेकिन घरेलू उद्योग को वर्ष 2020-21 में हानि हुई। यह अनुरोध किया गया है कि वर्ष 2020-21 में हुई हानि कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता और भारत सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण हुई थी।
ग. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है और घरेलू उद्योग ने काफी लाभ कमाया है। तथापि, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ का स्तर कम है। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि जांच की अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा सबसे कम थी।
घ. घरेलू उद्योग के नकद लाभ में वर्ष 2019-20 में वृद्धि हुई लेकिन वर्ष 2020-21 में गिरावट आई तथा जांच की अवधि में सुधार हुआ।
ङ. आवेदक द्वारा अर्जित आय कम बनी हुई है लेकिन आधार वर्ष स्तर से अधिक है।

घ. मालसूची

65. मालसूची के संबंध में सूचना इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	आरंभिक मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
2	अंतिम मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
3	औसत मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	238	493	691

66. यह देखा जाता है कि पूरी क्षति अवधि के दौरान आवेदक की औसत मालसूची में वृद्धि हुई है तथापि, चूंकि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन एक अभियान के आधार पर किया जाता है, मालसूची में वृद्धि संबंधित आयातों के कारण नहीं हो सकती है।

ङ. उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी

67. क्षति अवधि के दौरान उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी के संबंध में सूचना निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	104	102
2	वेतन एवं मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	165	188	170
3	प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन/दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	172	130	163
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन/सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	170	126	160

68. क्षति अवधि के दौरान उत्पादकता, वेतन और मजदूरी तथा रोजगार में वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग ने इन मानदंडों के संबंध में किसी गिरावट का दावा नहीं किया है।

च. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

69. यह देखा जाता है कि पहले किए गए निवेश पर अर्जित आरओसीई बहुत कम रहा है।

छ. पाटन मार्जिन की मात्रा

70. यह देखा जाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है और पाटन जारी है।

ज. वृद्धि

71. आधार वर्ष के संबंध में आवेदक की वृद्धि के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	उत्पादन	वर्ष/वर्ष	72%	-24%	25%
2	बिक्रियां	वर्ष/वर्ष	67%	-25%	29%
3	प्रति यूनिट लाभ/(हानि)	वर्ष/वर्ष	2%	-847%	202%
4	मालसूची	वर्ष/वर्ष	138%	107%	40%
5	बाजार हिस्सा	वर्ष/वर्ष	36%	-40%	75%
6	कर पूर्व लाभ/(हानि)	वर्ष/वर्ष	71%	-657%	232%
7	नकद लाभ	वर्ष/वर्ष	97%	-100%	33271%
8	पीबीआईटी	वर्ष/वर्ष	-25%	-471%	245%
9	आरओआई	वर्ष/वर्ष	-48%	-443%	221%

72. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक रही है। आवेदक ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद काफी मात्रा प्राप्त की। यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2020-21 लॉकडाउन और कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण एक असामान्य वर्ष रहा। वर्ष 2019-20 की तुलना में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक रही।

छ.4 <u>क्षति संबंधी निष्कर्ष</u>

73. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों और घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर उनके प्रभाव की जांच से पता चलता है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद कम हुई है। आयात बिक्री कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कमतर हुए हैं। तथापि, पाटनरोधी शुल्क ने सुनिश्चित किया है कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत पर कोई न्यूनकारी या ह्रासकारी प्रभाव न पड़े। यह भी देखा गया है कि पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगने के बाद घरेलू उद्योग अपने बाजार हिस्से में वृद्धि करने और अपने उत्पादन और बिक्री में सुधार करने में सक्षम रहा है। तथापि, घरेलू उद्योग अब भी अप्रयुक्त क्षमताओं के साथ कार्य कर रहा है। यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग को पहले घाटा हो रहा

था परंतु अब निष्पादन में सुधार हुआ है क्योंकि वह लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर सकारात्मक आय प्राप्त करने में सक्षम रहा है। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित आय अब भी कम बनी हुई है। यद्यपि संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, तथापि उनकी पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से वास्तविक रूप से कम है जिससे घरेलू उद्योग पर्याप्त लाभकारी कीमत नहीं ले पा रहा है। अतः, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग पाटन के पूर्ववर्ती खराब प्रभावों से उबर चुका है परंतु अब भी उसकी स्थिति संवेदनशील बनी हुई है।

ज. कारणात्मक संपर्क

74. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अलावा किसी भी ज्ञात कारक की जांच करने की आवश्यकता है, जो घरेलू उद्योग को हानि पहुंचा रहे हैं अथवा क्षति होने की संभावना है, ताकि इन अन्य कारकों के कारण पाटित आयात न हों। यद्यपि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और मूल जांच में कारणात्मक संपर्क की पहले ही जांच की जा चुकी है, तथापि प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है या होने की संभावना है। इस बात की जांच की गई कि क्या नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान हो सकता है अथवा होने की संभावना है।

क. तीसरे देश से आयातों की मात्रा और कीमत

75. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से आयातों का कुल आयातों में 77% हिस्सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी से भी काफी आयात होते हैं जो कुल आयात में 23% हिस्सा रखते हैं। गैर-संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की आयात कीमत चीन जन. गण. से अधिक है और घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से अधिक है।

ख. मांग में संकुचन और/अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

76. विचाराधीन उत्पाद की मांग वर्ष 2019-20 में घटी लेकिन उसके बाद बढ़ गई। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई है लेकिन जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

घ. प्रौद्योगिकी का विकास

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ङ. निर्यात निष्पादन

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग निर्यात बाजार के अधीन नहीं है और इसीलिए निर्यात निष्पादन क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

च. अन्य उत्पादों का निष्पादन

प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। अतः, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, का संभावित कारण नहीं हो सकता है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

80. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा दी गई और जांच की अवधि के लिए प्रैक्टिसिंग एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से पहुँच कीमत की तुलना करने के लिए क्षति रहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में कच्ची सामग्री और यूटिलिटियों के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा गैर-आवर्ती खर्चों को उत्पादन लागत से अलग किया गया है।

विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार और अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार क्षति रहित कीमत निकालने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

81. पहुंच कीमत और ऊपर निर्धारित क्षति रहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रस्तावित क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, थोक और पैक किए गए सामानों के लिए अलग-अलग क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है।

क्रम सं.	**विवरण**	**किस्म**	**क्षति रहित कीमत अमे. डॉल./कि. ग्रा.**	**पहुँच कीमत अमे. डॉल./ कि. ग्रा.**	**क्षति मार्जिन**		
					अमे. डॉल./ कि. ग्रा.	**%**	**रेंज**
1	कोई भी उत्पादक	थोक	***	***	***	***	0-10%
		पैक्ड	***	***	***	***	0-10%
		भारित औसत	***	***	***	***	0-10%

ञ. पाटन और क्षति के बार-बार होने की संभावना

ञ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

82. पाटन और क्षति के बार-बार होने की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नानुसार हैं: -

क. क्षति के बार-बार होने की संभावना 'तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए न कि केवल आरोप, अनुमान अथवा दूरस्थ संभावना' पर। इस तरह के उपायों को आवश्यक बनाने वाली परिस्थितियाँ 'स्पष्ट रूप से पूर्वाभास और आसन्न'[5] होनी चाहिए।

ख. जांचकर्ता प्राधिकारी को एक तर्कपूर्ण और पर्याप्त स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है कि कैसे रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य आसन्न भविष्य[6] में उत्पन्न होने वाली क्षति की स्थिति का समर्थन करता है।

[5] इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2004 एससीसी ऑनलाइन सेसटेट 2829.

[6] पैरा 7.277 यूनाइटेड स्टेट्स - इंडोनेशिया से कुछ कोटेड पेपर पर पाटनरोधी और प्रतिकारी उपाय - पैनल रिपोर्ट, डब्ल्यूटी/डीएस491/आर।

ग. निर्णायक समीक्षा के लिए कानूनी मानक यह सिद्ध करना है कि क्या शुल्क की समाप्ति से क्षति जारी रहेगी अथवा बार-बार होगी या नहीं। आयातों का अंतर्वाह अपने आप में कानून द्वारा वर्जित नहीं है।

घ. शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि आवेदक पाटित और क्षतिकारक आयातों की संभावना नहीं दर्शाता।

ङ. विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि के बावजूद चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों का हिस्सा नगण्य है।

च. चीन जन. गण. में अधिशेष क्षमताओं के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे केवल 'बाजार अनुसंधान' पर आधारित नहीं हो सकते हैं। इसके बारे में पूरी सूचना देनी होगी।

छ. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत लेखों में चीन जन. गण. से उत्पादकों की कुल क्षमता का उल्लेख है और यह विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए विशिष्ट नहीं है। जैसा कि स्वयं आवेदक ने उल्लेख किया है, क्षमताओं को अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए आसानी से मोड़ा जा सकता है, अतः यह स्पष्ट नहीं है कि क्षमता विस्तार योजनाओं का उपयोग केवल एमआईपीए के उत्पादन के लिए कैसे किया जा सकता है।

ज. आवेदक ने यूएसए की निर्यात कीमत के अनुसार निर्मित सामान्य मूल्य के आधार पर तीसरे देश के पाटित और क्षतिकारक आयातों का परिकलन किया है जो एक उपयुक्त निर्धारण नहीं है।

झ. चीन जन. गण. का कुल निर्यात इसकी कुल क्षमता का केवल 11% है और निर्यात का इतना छोटा हिस्सा इन उत्पादकों को निर्यातोन्मुख नहीं बना सकता है।

ञ. भारत को विचाराधीन उत्पाद का चीन जन. गण. का निर्यात इसके कुल निर्यात का केवल 3-4% है।

ट. चीन जन. गण. में एमआईपीए की मांग में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है क्योंकि चीन का धातु क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, जिसने विनिर्माताओं को इस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले एमआईपीए का उत्पादन करने के लिए मजबूर किया है।

ठ. वैश्विक मोनो-आइसोप्रोपेनॉल एमाइन उद्योग वर्ष 2020 में 82.2 अम. डॉलर मिलियन आंका गया था, और वर्ष 2030 तक 140.8 डॉलर मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो वर्ष 2021 से वर्ष 2030[7] तक 5.6% की सीएजीआर पर बढ़ रहा है।

---

[7] चिदानंद बी, निकिल एम, एस्वारा पी "मोनोइसोप्रोपेनोलामाइन मार्केट बाय एंड-यूज इंडस्ट्री: ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एनालिसिस एंड इंडस्ट्री फोरकास्ट, 2021-2030" एलाइड मार्केट रिसर्च, <https://www.alliedmarketresearch.com/monoisopropanolamine-mipa-market-A15679> पर उपलब्ध है। पिछली बार 11 नवंबर, 2022 को एक्सेस किया गया।

ड. वस्तु का हर विक्रेता अपने मार्जिन और लाभ को अधिकतम करने में रुचि रखता है। यदि बिक्री को भारत में अधिक कीमत पर अंतरित किया जा सकता है, तो विक्रेता के पास विचाराधीन उत्पाद को काफी कम कीमतों[8] पर बेचने का कोई कारण नहीं है।

ढ. चीन जन. गण. के उत्पादकों के लिए सबसे बड़ा बाजार मलेशिया है जहां विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत भारत में 1.4 अमेरिकी डॉलर/किग्रा की तुलना में 1.1 अमेरिकी डॉलर/किलोग्राम है। चूंकि लगाया गया पाटनरोधी शुल्क एक निर्धारित शुल्क है, अतः चीन जन. गण. के उत्पादक बाजार के भारी भाग को लेने के लिए उच्च स्तर तक अपनी कीमतें स्पष्ट रूप से कम कर सकते थे।

ण. वर्तमान में अन्य देशों द्वारा विचाराधीन उत्पाद पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाता है।

ञ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

83. पाटन और क्षति के बार-बार होने की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं: -

क. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी संबद्ध देश के उत्पादकों द्वारा संबद्ध सामानों का निरंतर पाटन जारी रहना पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना को सिद्ध करता है।

ख. प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से निर्णायक समीक्षा शुरू करने की आवश्यकता है ताकि यह जांच की जा सके कि क्या शुल्क की समाप्ति से क्षति[9] के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।

ग. चीन जन. गण. के उत्पादक न केवल भारतीय बाजार में बल्कि अन्य देशों में भी संबद्ध सामानों का पाटन कर रहे हैं। ऐसे उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन 76% जितना अधिक है। उच्च पाटन मार्जिन यह भी दर्शाता है कि चीन जन. गण. में उत्पादकों के पास काफी अधिशेष क्षमताएं हैं।

घ. तीसरे देशों को 80% से अधिक निर्यात भारत को निर्यात कीमत से कम है और ऐसे निर्यातों के संबंध में कीमत कटौती 28% है।

---

[8] चिदानंद बी, निकिल एम, एस्वारा पी "मोनोइसोप्रोपेनोलामाइन मार्केट बाय एंड-यूज इंडस्ट्री: ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एनालिसिस एंड इंडस्ट्री फोरकास्ट, 2021-2030" एलाइड मार्केट रिसर्च, <https://www.alliedmarketresearch.com/monoisopropanolamine-mipa-market-A15679> पर उपलब्ध है। पिछली बार 11 नवंबर, 2022 को एक्सेस किया गया।

[9] विवरण के लिए घरेलू उद्योग के अगोपनीय आवेदन पत्र का अनुबंध-घ देखें।

ङ. चीन जन. गण. के उत्पादक 40 से अधिक देशों को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करते हैं और प्रमुख देशों को निर्यात भारत को निर्यात कीमत से कम हैं।

च. भारत में विविधतापूर्ण निर्यात की मात्रा घरेलू मांग का 2.5 गुना है।

छ. तीसरे देशों को संभावित पाटित और क्षतिकारक निर्यात की मात्रा जो भारत को निर्यात कीमत से कम है, 248 प्रतिशत है।

ज. चीन जन. गण. में उत्पादकों के पास बहुत अधिक क्षमताएं हैं और वे विभिन्न वैश्विक बाजारों में इनका उपयोग कर रहे हैं। उत्पादकों ने सभी प्रमुख देशों को अपने बिक्री बाजार के रूप में सूचीबद्ध किया है। झेजियांग जियानये केमिकल कंपनी लिमिटेड की क्षमता 120 केटी है, अनहुइ हाओयुआन केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड की क्षमता 30 केटी है और वैश्विक स्तर पर निर्यात कर रहे हैं।

झ. चीन जन. गण. के उत्पादक 40 से अधिक देशों को निर्यात करते आ रहे हैं। तथापि, शुल्क लगाए जाने से पहले, चीन जन. गण. से कुल निर्यात में भारतीय निर्यात का हिस्सा 17% था।

ञ. आवेदक सीधे कीमतों के आधार पर आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। यदि शुल्कों को नहीं बढ़ाया जाता है, तो इसका आवेदक के निष्पादन पर प्रतिकूल मात्रात्मक और कीमत प्रभाव पड़ेगा तथा उसे वित्तीय हानियां, नकारात्मक आय और नकद हानियां होंगी।

ट. चीन जन. गण. के उत्पादकों का औसत क्षमता उपयोग केवल 50% है। आवेदक ने पहले ही तर्क दिया है कि चीन जन. गण. में उत्पादकों के पास देश में मांग की तुलना में कहीं अधिक क्षमताएं हैं। जो देखने की आवश्यकता है वह चीन जन. गण. के उत्पादकों के पास मुक्त रूप से निपटानयोग्य क्षमताओं की उपलब्धता और उनके उत्पादन के संबंध में इन उत्पादकों की निर्यातोन्मुखता है।

ठ. कुल निर्यात में चीन जन. गण. के कम हिस्से के पीछे एकमात्र कारण मौजूदा पाटनरोधी शुल्क है।

ड. संबद्ध देश में अधिशेष क्षमता के अभाव का दावा करने वाले अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जिस साक्ष्य पर विश्वास किया गया है, वह मोनो-आइसोप्रोपेनॉल एमाइन से संबंधित है, जो एक पूरी तरह से भिन्न उत्पाद है।

ढ. प्रयोक्ता उद्योग ने अपने दावों के लिए गैर-सम्बद्ध रिपोर्टों पर विश्वास किया है। यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री सामने नहीं लाई गई है कि चीन जन. गण. में एमआईपीए की मांग बढ़ने की उम्मीद है।

ण. आवेदक ने कम कार्बन फैटी एमाइन (जिसमें विचाराधीन उत्पाद शामिल है) के लिए झेजियान जियान्ये द्वारा शुरू की जाने वाली क्षमता विस्तार योजनाओं से संबंधित साक्ष्य प्रदान किया है।

त. मलेशिया को कम कीमत वाले आयातों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि भारत एक कीमत आकर्षक बाजार है और संबद्ध देश के उत्पादक पाटनरोधी शुल्क के अभाव में भारत को अपने निर्यातों भेजेंगे।

थ. घरेलू उद्योग के शीर्ष स्तर और प्रचालन मार्जिन में उछाल के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि विवरण एसीटोनिट्राइल एमाइन और मेथनॉल एमाइन से संबंधित हैं, जिनकी कच्चा सामग्री विचाराधीन उत्पाद से पूरी तरह भिन्न है।

द. कुल राजस्व में विचाराधीन उत्पाद का योगदान अन्य क्षेत्रों की तुलना में मामूली रहा है।

ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

84. वर्तमान जांच चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के आयातों पर लगाए गए शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के अंतर्गत, प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या मौजूदा शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।

85. प्राधिकारी ने धारा 9क(5), नियम 23 और नियमावली के अनुबंध-II(vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों में निर्धारित अपेक्षा तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए अन्य संगत कारकों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की जांच की है।

86. इस तरह का संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) में, अन्य बातों के साथ-साथ उन कारकों का प्रावधान है जो क्षति के खतरे के लिए संगत हैं और उन्हीं कारकों का उपयोग निर्णायक समीक्षा में संभावना विश्लेषण के लिए भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ये संभावना के निर्धारण के लिए संगत मापदंडों की गैर-व्यापक सूची है:

क. भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की एक महत्वपूर्ण दर जो कि पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना को दर्शाती है;

ख. किसी भी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय बाजारों में पर्याप्त रूप से बढ़े हुए

पाटित निर्यात की संभावना को दर्शाते हुए, निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटानयोग्य, अथवा आसन्न, पर्याप्त वृद्धि;

ग. क्या आयात कम कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव होगा, और संभावित रूप से आगे के आयातों की मांग बढ़ेगी; तथा

घ. वस्तु की मालसूची की जांच की जा रही है।

87. प्राधिकारी ने उपर्युक्त सूचीबद्ध मानदंडों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के आकलन से संगत विभिन्न संकेतकों की जांच की है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने अन्य संगत कारकों की भी जांच की है जो घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना पर असर डाल सकते हैं।

88. घरेलू उद्योग ने यह उपलब्ध कराया है कि भले ही विचाराधीन उत्पाद का भारत में समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण नहीं है, फिर भी चीन जन. गण. में इसका एक समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण है। आवेदक ने दावा किया है कि उत्पाद कोड 29211920 के अंतर्गत निर्यात किया जाता है। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा माना गया कोड आइसोप्रोपिल एमाइन के लिए है जिसके बारे में आवेदक ने दावा किया है कि यह विचाराधीन उत्पाद का दूसरा नाम है। चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और यहां तक कि भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों ने भी घरेलू उद्योग के इस दावे पर विवाद नहीं किया है, अतः प्राधिकारी ने अन्य देशों को निर्यात की प्रवृत्ति की जांच करने के लिए 29211920 के व्यापार आंकड़ों पर विचार किया है।

89. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि चीन जन. गण. में विचाराधीन उत्पाद की मांग काफी बढ़ने की उम्मीद है और इसीलिए चीन जन. गण. के उत्पादक भारत को अधिशेष उत्पादन नहीं भेजेंगे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य मोनोइसोप्रोपेनोलैमाइन से संबंधित हैं जो कि विचाराधीन उत्पाद नहीं है।

ञ.3.1 काफी बढ़े हुए आयात की संभावना दर्शाते हुए भारत में वर्तमान पाटित आयातों का स्तर

90. आयात में वृद्धि की दर की जांच करने के लिए, जो आगे और वृद्धि की संभावना का संकेत दर्शा सकती है, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान आयात की मात्रा की प्रवृत्ति की संपूर्ण रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में जांच की है।

क्रम. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	चीन जन. गण.	मी. टन	1,834	696	2,058	529
2	के संबंध में संबद्ध देश से आयात					
क	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
ख	भारतीय मांग	%	***	***	***	***
ग	कुल आयात	%	98%	69%	56%	77%

91. यह देखा जाता है कि वर्ष 2019-20 में चीन जन. गण. से आयात की मात्रा में गिरावट आई है लेकिन वर्ष 2020-21 में इसमें भारी वृद्धि दर्ज की गई है। जांच की अवधि में आयातों की मात्रा में फिर से गिरावट आई है। संबद्ध देश से आयातों का देश में मांग में काफी हिस्सा बना हुआ है।

ञ.3.2 क्या आयात उन कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासमान अथवा न्यूनीकरण प्रभाव होगा और आगे के आयातों के लिए मांग में वृद्धि की संभावना होगी

92. प्राधिकारी ने जांच की अवधि में आयातों, उत्पादन लागत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर विचार किया है ताकि यह जांच की जा सके कि क्या आयातों का घरेलू कीमतों पर न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव पड़ने की संभावना है।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	बिक्रियों की लागत	₹/मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	126	121
2	बिक्री कीमत	₹/मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	123	123
3	पहुँच कीमत	₹/मी. टन	1,05,231	91,809	1,34,436	1,64,967
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	128	157

93. यह देखा जाता है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम रही है। प्राधिकारी ने लेन-देन-वार डीजी सिस्टम के आंकड़ों की भी जांच की है और यह पाया है कि 77% आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम हैं और 76% आयात घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारक कीमत से कम हैं।

94. स्थल सत्यापन के दौरान, घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रयोक्ता उद्योग को चीन जन. गण. के उत्पादकों द्वारा पेश की गई काफी कम कीमत दर्शाते हुए उद्धरणों का साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है। यह नोट किया जाता है कि ये कीमतें घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी कम हैं। यदि पाटनरोधी शुल्क नहीं बढ़ाया जाता है, तो आयात लागत के साथ-साथ घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत को कम कर देगा, इस प्रकार, यह दर्शाता है कि आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर दमनकारी/निराशाजनक प्रभाव पड़ने की संभावना है यदि वहाँ कोई एंटी-डंपिंग शुल्क लागू नहीं है।

ञ.3.3 काफी अधिक क्षमताएं और क्षमता विस्तार

95. घरेलू उद्योग ने यह साक्ष्य दिया है कि चीन जन. गण. में एक उत्पादक झेजियांग जियान्ये लो-फैटी एमाइन के लिए अपनी क्षमता 25,000 मी. टन तक बढ़ा रहा है जिसमें विचाराधीन उत्पाद शामिल है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि वैश्विक स्तर पर सभी एलिफैटिक एमाइन उत्पादक कम वसा वाले एमाइन के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित करते हैं और प्रमुख रूप से विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करते हैं।

ञ.3.4 तीसरे देश का पाटन

96. तीसरे देश के पाटन के संबंध में सूचना नीचे दी गई है।

क्रम सं.	तीसरे देश को पाटित निर्यात	तीसरे देश को कुल निर्यात	पाटित निर्यातों का %	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन रेंज
1	16,743 मी. टन	16,885 मी. टन	99%	74%	70 - 80

***स्रोत** - ट्रेडमैप आंकड़ों के अनुसार चीन जन. गण. से निर्यात।*

97. यह देखा जाता है कि तीसरे देशों को संपूर्ण निर्यात पाटित कीमतों पर है। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा जाता है कि पाटन मार्जिन 76% है।

ञ.3.5 तीसरे देश से क्षतिकारक निर्यात

98. तीसरे देश के क्षतिकारक निर्यात के संबंध में सूचना नीचे दी गई है।

क्रम सं.	क्षति रहित कीमत से कम पर अन्य देशों को निर्यात	तीसरे देश को कुल निर्यात	क्षतिकारक निर्यातों का %	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन रेंज
1	16638मी. टन	16,885 मी. टन	99%	52%	50-60

99. यह देखा जाता है कि तीसरे देशों को लगभग संपूर्ण निर्यात भारत में क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर होता है। इन निर्यातों के संबंध में क्षति मार्जिन 60% है।

ञ.3.6 कीमत आकर्षकता

100. चीन जन. गण. से भारत और चीन जन. गण. से तीसरे देशों को निर्यात कीमत के बीच तुलना नीचे दी गई है:

क्रम सं.	माह	भारत को कीमत रु./कि. ग्रा.	अन्य देशों को कीमत रु./कि. ग्रा.	अंतर रु./कि. ग्रा.
1	2021-एम04	94.47	99.09	-4.62
2	2021- एम 05	104.07	101.64	2.43
3	2021- एम 06	114.32	92.96	21.36
4	2021- एम 07	91.72	84.97	6.75
5	2021- एम 08	136.7	87.9	48.8
6	2021- एम 09	98.99	75.75	23.24
7	2021- एम 10	0	83.18	-
8	2021- एम 11	136.88	89.53	47.35
9	2021- एम 12	129.77	104.45	25.31
10	2022- एम 01	138.56	95.1	43.47
11	2022- एम 02	142.16	97.84	44.32
12	2022- एम 03	106.03	110.81	-4.79
13	**कुल**	**104.6**	**93.19**	**11.41**

स्रोतः ट्रेडमैप डाटा

101. यह देखा जाता है कि अन्य देशों को संबद्ध सामानों की औसत निर्यात कीमत भारत में उनकी निर्यात कीमत से कम है। जो दर्शाता है कि भारतीय बाजार बेहतर कीमतों की पेशकश करता है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने चीन जन गण से भारत को संबद्ध वस्तुओं के मासिक औसत निर्यात मूल्य की तुलना चीन गण . यह देखा गया है कि तीसरे देशों को 82% निर्यात भारत की निर्यात कीमत से कम कीमत पर होता है। यह देखा गया है कि तीसरे देशों को 82% निर्यात भारत को निर्यात कीमत से कम कीमत पर होता है जो यह दर्शाता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटा दिया जाता है तो संबद्ध वस्तुओं के निर्यात को भारत में मोड़ने की प्रबल संभावना है।

ञ.4 <u>क्षति की संभावना संबंधी निष्कर्ष</u>

102. क्षति की संभावना संबंधी मानदंडों की जांच दर्शाती है कि संबद्ध देशों से आयात लागत से काफी कम हैं और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से भी कम हैं। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के अभाव में संबद्ध देश से संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर काफी ह्रासकारी/न्यूनकारी प्रभाव पड़ा था। यह भी देखा गया है कि यदि घरेलू उद्योग आयात कीमत के साथ अपनी कीमतें बराबर करने को बाध्य होता है तो वह बिक्री कीमत उसकी उत्पादन लागत से वास्तव में कम होगी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यह तथ्य कि चीन जन.गण. से उत्पादक क्षमता में विस्तार कर रहे हैं और यह कि चीन जन.गण. से तीसरे देशों को निर्यात ऐसी कीमत पर हो रहा है जो भारत को निर्यात कीमत से कम है, यह सिद्ध करता है कि भारत को आयातों में वृद्धि की संभावना है। इसके अलावा, यह तथ्य कि चीन के उत्पादक तीसरे देशों को पाटित कीमतों पर वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, चीन जन.गण. से उत्पादकों द्वारा अपनाए गए बाजार कब्जाने के कीमत निर्धारण को दर्शाता है। अतः, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि यदि शुल्क हटाया जाता है तो पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना है।

ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

103. जांच प्रक्रिया के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

क. विकल्पों का अभाव एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी बाजार के लिए नहीं बनता है तथा इसके परिणामस्वरूप निचले स्तर के उत्पादकों को केवल आवेदक पर निर्भर रहना पड़ेगा।

ख. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से निचले स्तर के उत्पाद के आयात में काफी वृद्धि हुई है।

ग. आवेदक के दावों में कोई संगतता नहीं है। यद्यपि एमआईपीए की खपत को ग्लाइफोसेट के लीटर में दर्शाया गया है, तथापि किलोग्राम के संदर्भ में प्रभाव का आकलन किया गया है।

घ. आवेदक द्वारा परिकलित प्रभाव गलत है। निचले स्तर के उत्पादों के लिए आवेदन पत्र में उल्लिखित कीमतें गलत हैं और साक्ष्य से सिद्ध नहीं की गई हैं।

ङ. पाटनरोधी शुल्क जारी रहने से आम आदमी के लिए भोजन की दैनिक लागत अधिक महंगी होने और देश में खाद्य सुरक्षा प्रभावित होने की संभावना है।

च. निचले स्तर के उद्योग का उत्पादों का उपयोग लाखों किसानों द्वारा किया जाता है। लागत में तेज वृद्धि से कई आजीविकाओं के प्रभावित होने की संभावना है और 'आत्मानिर्भर भारत' के लक्ष्य में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है।

छ. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से निचले स्तर के उत्पाद अट्राजीन टेक्निकल के आयात में काफी वृद्धि हुई है।

ज. आवेदक देश में एमआईपीए का एकमात्र उत्पादक है और हर गुजरते वर्ष के साथ इसका हिस्सा बढ़ रहा है। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से देश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी।

झ. घरेलू उद्योग के संयंत्र के बंद होने से आपूर्ति श्रृंखला में, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारी बाधाएं आईं। आपूर्ति श्रृंखला को ऐसी बाधाओं से जोखिम मुक्त करने के लिए, निचले स्तर के प्रयोक्ताओं ने आपूर्ति के एक से अधिक स्रोत पर विश्वास करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

ञ. आवेदक द्वारा परिकलित किए गए प्रतिकूल कीमत प्रभाव के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदक ने कीमत कटौती का परिकलन केवल सकारात्मक लेनदेन के आधार पर किया है जो कि शून्य करने के समान है, एक ऐसी परिपाटी जिसे पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यूटीओ करार का उल्लंघन माना गया है।

ट. प्रयोक्ता आवेदक द्वारा घटती कीमतों और पाटनरोधी शुल्कों के जारी रहने के बीच के संबंध को समझने में विफल रहते हैं।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

104. जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

क. प्राधिकारी ने शुरूआती चरण में ही सभी हितबद्ध पक्षकारों को आर्थिक हितबद्ध प्रश्नावली उपलब्ध कराई है। तथापि, प्रयोक्ता उद्योग ने संगत सूचना दायर नहीं की है।

ख. संगत सूचना प्रदान करने में प्रयोक्ता उद्योग की विफलता का अर्थ है कि पाटनरोधी शुल्क के विस्तार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा

ग. चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों की आयात कीमतों में उतार-चढ़ाव आया है जो जांच की अवधि में 124 रु./किग्रा से 230 रु./किग्रा. तक है। जब सामानों की कीमत में इस तरह के महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव का प्रयोक्ता उद्योग पर काफी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, तो पाटनरोधी शुल्क का प्रयोक्ता उद्योग पर शायद ही कोई काफी प्रभाव पड़ा हो।

घ. एटेनोलोल की कच्ची सामग्री की लागत में विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा 20% है, ग्लाइफोसेट में 11% है और एट्राज़ीन टेक 97% में 22% है।

ङ. एटेनोलोल की कीमत में विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा 0.11% है, ग्लाइफोसेट में 4% है और एट्राज़ीन टेक 97% में 7.4% है।

च. अंतिम उत्पाद ग्लाइफोसेट 41% पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 0.90%, एटेनोलोल (10 कैप) पर 0.08% है और एट्राज़ीन 50% डब्ल्यूपी पर 1.58% है।

छ. भाग लेने वाले प्रयोक्ता उद्योग एट्राज़ीन टेक्निकल के उत्पादक हैं, जो अब चीन जन. गण. से एट्राज़ीन के आयात पर लगाए गए प्रतिकारी शुल्क के लाभ से संरक्षित हैं।

ज. आवेदक का संयंत्र केवल विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए पूरी तरह से उसके लिए नहीं है और उस पर अन्य उत्पादों का विनिर्माण किया जा सकता है। निरंतर प्रतिकूल प्रभाव से विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन रुक सकता है क्योंकि आवेदक को अन्य उत्पादों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

झ. आवेदक के पास क्षमता भारत में पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है तथा कोई मांग और आपूर्ति अंतराल नहीं है। *** मीट्रिक टन की मांग की तुलना में, आवेदक के पास *** मीट्रिक टन की क्षमता है।

ञ. संयुक्त राज्य अमेरिका से भी विचाराधीन उत्पाद का काफी आयात हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

ट. वर्तमान पाटनरोधी शुल्क से आयात प्रतिबंधित नहीं हुए। आयात अभी भी काफी मात्रा में हैं।

ठ. आयात की मात्रा में एकमात्र वर्ष 2020-21 में तेज वृद्धि देखी गई। तथापि, वर्ष 2021-22 में आयात में गिरावट आई और अप्रैल से सितंबर, 2022 की अवधि में इसमें और तेजी से गिरावट आई है।

ड. यदि प्रयोक्ता उद्योग को आयातित सामग्री पर निर्भर रहना पड़ता है तो उसे उच्च स्तर की मालसूची बनाए रखनी होगी। यदि प्रयोक्ता उद्योग घरेलू उद्योग से खरीद करता है तो मालसूची को कम किया जा सकता है।

ढ. प्रयोक्ता उद्योग की अर्थक्षमता पाटित कीमतों पर कच्ची सामग्री की पहुंच पर निर्भर नहीं हो सकती है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

105. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है ताकि वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान की जा सके, जिसमें उनके प्रचालन पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव भी शामिल हैं। प्राधिकारी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता, उपभोक्ताओं की स्रोतों में जाने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से आई नई स्थिति में समायोजन में विलंब अथवा उसके बढ़ाने की संभावना वाले कारकों के बारे में सूचना मांगी।

106. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हितबद्ध प्रश्नावली निर्धारित की थी जिसे इस समीक्षा जांच के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। घरेलू उद्योग के साथ-साथ प्रयोक्ता उद्योग दोनों ने आर्थिक हितबद्ध प्रश्नावली में मांगी गई सूचना प्रदान की है। आवेदक ने अपनी आर्थिक हितबद्ध प्रश्नावली में घरेलू उद्योग के साथ-साथ प्रयोक्ता उद्योग से संबद्ध सूचना दी है।

107. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य, सामान्य रूप से, पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से

स्थापित की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों के जारी रहने से संबद्ध सामानों के साथ-साथ भारत में संबद्ध सामानों का उपयोग करके विनिर्मित अन्य निचले स्तर के उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों को लागू करने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को जारी रखने से घरेलू उद्योग की गिरावट रुकेगी जो संबद्ध देश से कम कीमत वाले संबद्ध आयातों के परिणामस्वरूप हो सकता है और संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की व्यापक उपलब्धता को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

108. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के साथ-साथ निचले स्तर के उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का प्रभाव बताया है। यद्यपि निचले स्तर के उद्योग ने अपनी लागत और बिक्री कीमत पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बताया है, तथापि घरेलू उद्योग ने अंतिम अंतिम उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बताया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और निचले स्तर के उद्योग दोनों द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की जांच की है।

109. निचले स्तर के उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क के अपने प्रभाव में पाटनरोधी शुल्क की अवशिष्ट राशि पर विचार किया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब मूल जांच के सहयोगी उत्पादकों से लगातार आयात होते रहे हैं तो घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क की शेष राशि वसूल करने में सक्षम नहीं होगा। अतः, उत्पाद की कीमत में कोई वृद्धि अथवा कमी पाटनरोधी शुल्क की उच्चतम राशि से नहीं हुई होगी। यह भी देखा जाता है कि पाटनरोधी शुल्क की न्यूनतम राशि पर विचार करने के बाद घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत आयातों की पहुंच कीमत से कम है जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतों में पूरी शुल्क राशि नहीं ली है। अतः, पाटनरोधी शुल्क को शुल्क की शेष दर के बराबर मानना उचित नहीं होगा। फिर भी, प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों पर पाटनरोधी शुल्क तथा शेष निर्यातकों पर पाटनरोधी शुल्क को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव का भी विश्लेषण किया है।

110. प्राधिकारी ने निचले स्तर के उद्योग की लागत पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की जांच की। यह देखा जाता है कि समान उत्पाद के लिए भाग लेने वाले निचले स्तर के प्रयोक्ताओं द्वारा दावा की गई परिवर्तन लागत वास्तविक रूप से भिन्न है और उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अतः, निचले स्तर के उद्योग की लागत पर

पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को निचले स्तर के उद्योग द्वारा प्रदान की गई परिवर्तन लागत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तथापि, घरेलू उद्योग ने निचले स्तर के उत्पादों की कीमतों के आधार पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव प्रदान किया है। प्रयोक्ता उद्योग द्वारा दिए गए ग्लाइफोसेट 41% और एट्राज़ीन टेक्निकल के प्रति यूनिट उत्पादन में विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा क्रमशः 0.17 किलोग्राम और 0.39 किलोग्राम है।

111. प्रदान किए गए निचले स्तर के उत्पादों की कीमतों पर विचार करते हुए, निचले स्तर के उद्योग द्वारा दिए गए औसत खपत मानदंड और लगाए गए सबसे कम पाटनरोधी शुल्क में, यह देखा जाता है कि निचले स्तर के उद्योग की कीमतों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव लगभग 2% से 3% है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने अंतिम उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की भी जांच की है जो एट्राजीन के लिए लगभग 1.5% से 2%, ग्लाइफोसेट के लिए 0.09% और एटेनोलोल के लिए 0.08% पाया गया है।

112. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं के लिए संबद्ध वस्तुओं की अनुपलब्धता नहीं होगी । इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देश से आयात को प्रतिबंधित नहीं करेगा क्योंकि आयात 2018 में शुल्क लगाने के बाद भी जारी रहा है।यह भी नोट किया जाता है कि गैर संबद्ध देशों से काफी आयात होते हैं और देश में मांग आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है और घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है ।

113. प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पाद की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि घरेलू उद्योग भी उचित कीमतों पर व्यवहार्य रहे, ऐसा नहीं होने पर प्रयोक्ता निरंतर पाटित आयातों पर निर्भर हो जाएंगे।

ठ. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

114. प्रकटन विवरण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड ने विधिवत् रूप से लिखित अनुरोध और खंडन प्रस्तुत किया है परंतु प्रकटन विवरण में उसका नाम शामिल नहीं है।

ख.	प्राधिकारी ने वह तरीका नहीं बताया है जिससे घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना सं. 10/2018 दिनांक 7 सितंबर, 2018 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

ग.	प्राधिकारी यह बताने में विफल रहे हैं कि वर्तमान स्थिति शुल्क का समय बढ़ाने के लिए असाधारण कैसे है जबकि घरेलू उद्योग ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

घ.	प्रयोक्ताओं ने अतिरिक्त और अप्रयुक्त क्षमताओं के लिए घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा की गई सूचना की असंगतता पर अविश्वसनीयता के उदाहरण दिए हैं। प्राधिकारी ने इसके संबंध में प्रयोक्ता के किसी तर्क का समाधान नहीं किया है।

ड.	निर्दिष्ट प्राधिकारी एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से बंधे हुए हैं जिनमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए सभी पक्षों के तर्कों का समाधान करना और एक तर्कसंगत क्रम बताना अपेक्षित है।

च.	प्राधिकारी से लागत आबंटन और आवेदक की विस्तार परियोजना का उनकी लागत पर प्रभाव का सत्यापन करने का अनुरोध किया जाता है।

छ.	घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार कुरकुंभ और पातालगंगा संयंत्रों तथा डाहेज स्थान के अलावा अन्य स्थानों पर तीन विस्तार परियोजनाएं चल रही हैं।

ज.	घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार सभी एलिफैटिक अमाइंस के लिए है और विचाराधीन उत्पाद भी एक एलिफैटिक अमाइन है। यह संभव है कि यद्यपि संयंत्र को विशेष रूप से पीयूसी के लिए स्थापित नहीं किया जा रहा हो, तथापि इस संयंत्र को पीयूसी के उत्पादन के लिए प्रयोग करने की संभावना हो सकती है।

झ.	यह प्रयोक्ताओं का अनुरोध नहीं था कि घरेलू उद्योग के पास 'अधिशेष' क्षमताएं हैं परंतु इसके बजाए क्षमता विस्तार के कारण लागत में वृद्धि हुई है।

ञ. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग 2020-21 में मंदी के वर्ष के बावजूद आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में लगभग 55 प्रतिशत बढ़ा है।

ट. वर्ष 2020-21 में पीयूसी की मांग में वृद्धि हुई है परंतु घरेलू उद्योग का संयंत्र बंद हो गया था और वह मांग को स्वतंत्र रूप से पूरा करने में असमर्थ था। इसकी वजह से गैर-संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में 2020-21 में अधिकांशतः वृद्धि हुई थी।

ठ. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि उनके व्यापार पर संबद्ध आयातों का कीमत प्रभाव पड़ा है और उसकी लाभप्रदता की तुलना कीमत कटौती से करना महत्वपूर्ण हो जाता है। कथित कीमत कटौती और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के बीच कोई सह-संबंध नहीं है।

ड. संबद्ध वस्तु की कीमतें तब अधिक हैं जब उन्हें अग्रिम प्राधिकारी जैसे कार्यक्रमों के माध्यमों से आयात किया जाता है। चूंकि अग्रिम प्राधिकार, एसईजेड, ईओयू आदि जैसे कार्यक्रमों में आयातकों के लिए आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है, इसलिए चीन के निर्यातक उच्चतर कीमत पर उत्पाद बेचने की स्थिति में हैं।

ढ. घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने की स्थिति में था परंतु उसने कम कीमत पर बिक्री का विकल्प चुना। यथा-परिकलित कम कीमत पर बिक्री और कीमत कटौती, दोनों 0-10 प्रतिशत के बीच हैं।

ण. पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए और आयातों के साथ उसे समान अवसर देने के लिए लगाया जाता है। वर्तमान स्थिति में घरेलू उद्योग ने अपनी वृद्धि और लाभों को बढ़ाया है।

त. ग्लाइफोसेट की मांग में क्षति अवधि के दौरान कम या कोई कटौती नहीं हुई है। यद्यपि अधिकांश कृषि रसायन उत्पाद मौसमी प्रकृति के हैं, तथापि ग्लाइफोसेट को वर्ष भर निरंतर उपभोग किया जाता है।

थ. शुल्क मुक्त आयात अन्य आयातों से अधिक कीमत पर आयातित थे और अधिकांश आयात इन स्कीमों के ज़रिए किए गए हैं। पाटनरोधी शुल्क लगभग

अनावश्यक है। इसके बावजूद, घरेलू उद्योग ने अपने आर्थिक मापदंडों में जबरदस्त सुधार किया है।

द. प्राधिकारी को समग्र आकलन के लिए पाटनरोधी शुल्क मुक्त आयातों के कीमत प्रभाव का आकलन करना चाहिए।

ध. घरेलू उद्योग त्रुटिपूर्ण लागत अस्थिरता से ग्रस्त है जिसके कारण 2020-21 में कच्ची सामग्री की अधिक लागत, संयंत्र बंद होना और उच्च क्षमता लागत रही है। इसके बावजूद, वह निरंतर कीमतों को नियंत्रित करने में समर्थ रहा है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को कोई कीमत क्षति नहीं हुई है।

न. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां उत्पादन के साथ-साथ बढ़ी हैं। चूंकि संयंत्र पीयूसी के लिए समर्पित नहीं है, इसलिए अप्रयुक्त क्षमताओं के लिए अन्य उत्पादों का निष्पादन जिम्मेदार हो सकता है।

प. चीन के आयातों के 10 प्रतिशत बाजार हिस्से को अधिक नहीं माना जा सकता है जबकि एकमात्र घरेलू उद्योग के पास 85 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सा है।

फ. घरेलू बिक्रियों, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में वृद्धि तथा संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट के साथ घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि का कोई कारण नहीं हो सकता है।

ब. पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 11.3 प्राधिकारी के लिए यह निर्धारण करना आवश्यक बनाता है कि क्या शुल्क समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी। यह बात स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए।

भ. प्राधिकारी ने भारत को भेजे जाने के लिए चीन के आयातों की कम संभावना से संबंधित प्रयोक्ताओं के मुख्य तर्क की अनदेखी की है क्योंकि चीन के उत्पादक कीमत से इतर कारकों के लिए भारत को बिक्री करने में कार्यनीतिक रूप से इच्छुक प्रतीत नहीं होते हैं।

म. चीन के निर्यातों का एक बड़ा हिस्सा भारत से कम कीमत पर है। चीन भारत के लिए कीमतों को और घटा सकता था परंतु उसने ऐसा नहीं किया।

य. चीन में भी पीयूसी की मांग में वृद्धि दर्शाने के पर्याप्त साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए, उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है और ग्लाइफोसेट जैसे उत्पादों में नए निवेश किए गए हैं, जो पीयूसी का एक डाउनस्ट्रीम उत्पाद है। यह आशा है कि चीन में जेनेटिकली मोडिफाइड फसलों की शुरुआत के साथ ग्लाइफोसेट की मांग में लगभग 150,000 टन की वृद्धि हो सकती है।

कक. प्राधिकारी को प्रयोक्ताओं के साथ कम बोली के संबंध में साक्ष्य देने के लिए घरेलू उद्योग को निर्देश देना चाहिए क्योंकि प्रयोक्ता प्रस्तुत साक्ष्य की समीक्षा के बिना टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

खख. प्रयोक्ता अनुरोध करते हैं कि कम फैटी अमाइंस उत्पादों की एक व्यापक श्रेणी है और पीयूसी से अनिवार्यत: संबंधित नहीं है। इस साक्ष्य पर विचार करना पीयूसी से संबंधित होने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा एलिफैटिक अमाइंस की क्षमता के विस्तार पर विचार नहीं करने के प्राधिकारी के स्वयं के निष्कर्ष के विपरीत होगा।

गग. केवल अधिशेष क्षमताओं की मौजूदगी क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

घघ. प्राधिकारी पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने या उनके जारी रहने की संभावना के संबंध में प्रयोक्ताओं के अनुरोध को समझने में विफल रहे हैं।

ङ.ङ. मेघमनी और सोमिटोमो अलग-अलग कंपनियां हैं और वे अलग-अलग परिकलन और रिपोर्टिंग पद्धतियां अपना सकते हैं। कंपनियों द्वारा प्रयुक्त अन्य कच्ची सामग्रियों की कच्ची सामग्री लागत अलग-अलग है जिसके परिणामस्वरूप परिवर्तन लागत में अंतर होता है।

चच. प्रयोक्ताओं को किसी विसंगति के कारण उनके आंकड़ों को अस्वीकार करने संबंधी टिप्पणी का अवसर दिया जाना चाहिए था।

छछ. प्रयोक्ता अंतिम उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की गणना के संबंध में अस्पष्ट है, ऐसी गणनाओं का आधार बताया जाना चाहिए।

जज. विगत वर्ष में वैश्विक बाजार में विभिन्न गतिविधियों के कारण डाउनस्ट्रीम उत्पादों में प्रयुक्त अन्य कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट आई है जबकि उत्पादन लागत में पीयूसी के हिस्से में भारी वृद्धि हुई है। डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर उत्पादन लागत पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव अनुमानित प्रभाव की तुलना में अधिक रहने की संभावना है।

झझ. पीयूसी की घरेलू आपूर्ति त्रुटिपूर्ण बनी रही है। वर्ष 2020-21 में जब घरेलू उद्योग का संयंत्र बंद रहा था, प्रयोक्ताओं को भारी नुकसान हुआ क्योंकि पीयूसी खरीदने का कोई अन्य स्रोत नहीं था।

ञञ. एमआईपीए पर वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के कारण अनेक डाउनस्ट्रीम उत्पादों के लिए विपरीत शुल्क संरचना बन गई है। इसके परिणामस्वरूप, तैयार उत्पादों के आयातों में वृद्धि हो गई है, जिससे प्रयोक्ता उद्योग को भारी क्षति हुई है।

टट. वर्तमान पाटनरोधी शुल्क का समय बढ़ाने से एमआईपीए के घरेलू उत्पादक को प्रदत्त संरक्षण का शोषण होगा और एनआईपीए के डाउनस्ट्रीम उत्पादों के घरेलू उत्पादकों का व्यापार बर्बाद हो जाएगा।

ठठ. निर्दिष्ट प्राधिकारी एक अद्ध-न्यायिक निकाय है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से बंधे हुए हैं, जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों पर ध्यान देना और एक तर्कसंगत आदेश देना अपेक्षित है। इस स्थिति की ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

115. प्रकटन विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. प्राधिकारी को पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव पर विचार करना चाहिए। यदि घरेलू उद्योग आयात कीमतों की बराबरी करने को बाध्य होता है तो उसे वित्तीय घाटे, नकद घाटे और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय का सामना करना पड़ेगा।

ख. संबद्ध देश से संपूर्ण क्षति अवधि में तीसरे देशों को सभी निर्यात घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम पर हुए हैं।

ग. पाटनरोधी शुल्क की राशि को वर्तमान क्षति मार्जिन के स्तर तक सीमित रखने से भारतीय बाजार को क्षतिकारी निर्यात भेजे जाने पर रोक नहीं लगेगी।

घ. क्षति अवधि के दौरान पाटन मार्जिन 70 प्रतिशत के काफी उच्च स्तर पर रहा है।

ङ. क्षति अवधि में क्षति मार्जिन 35-40 प्रतिशत के बीच रहा था।

च. घरेलू उद्योग अब भी पाटित आयातों के प्रति संवेदनशील है और शुल्क को जारी रखना आवश्यक है। संबद्ध देश से कीमत कटौती का वर्तमान स्तर और घरेलू उद्योग के कम लाभ स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि शुल्क को जारी रखना आवश्यक है।

छ. यदि प्राधिकारी पाटन के वर्तमान स्तर और क्षति मार्जिन के आधार पर पाटनरोधी शुल्क को पुन:निर्धारित करते हैं तो शुल्क का पुन:निर्धारण लक्षित प्रयोजन को पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं करेगा क्योंकि घरेलू उद्योग वांछित आय प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा।

ज. वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में संबद्ध आयातों का लगभग 100 प्रतिशत ऐसी कीमतों पर आयातित है जो वर्तमान मार्जिन पर आधारित पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के बाद भी घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम होगी।

झ. वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में संबद्ध आयातों का लगभग 100 प्रतिशत ऐसी कीमतों पर आयातित है जो वर्तमान मार्जिन पर आधारित

पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के बाद भी घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम होगी।

ञ. संबद्ध वस्तु की कीमतों में 36 प्रतिशत तक के स्तर तक भारी अंतर रहा है और इन आयातों के संबंध में क्षति मार्जिन भारित औसत क्षति मार्जिन से काफी अधिक रहा है।

ट. ऐसी स्थिति में जहां आयात उसी महीने में या उसके आस-पास और क्षति अवधि के भीतर ही काफी अलग-अलग कीमतों पर हुए हैं, घरेलू उद्योग की चिंता कम कीमत वाले आयातों के बारे में है और न कि अधिक कीमत वाले आयातों के बारे में।

ठ. प्राधिकारी ने पाया है कि तीसरे देशों को संपूर्ण निर्यात पाटित कीमतों पर हुए हैं और 99 प्रतिशत निर्यात क्षतिकारी कीमत पर हैं। ये निर्यात शुल्क समाप्त होने की स्थिति में संभावित मार्जिनों को दर्शाते हैं।

ड. कानून और वैश्विक प्रक्रिया को केवल पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्णायक समीक्षा का दायरा मौजूदा शुल्क को केवल बढ़ाना है और मौजूदा शुल्क में बदलाव करना नहीं है।

ढ. निर्णायक समीक्षा का उद्देश्य पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन का कोई नया निर्धारण करना नहीं है बल्कि प्राधिकारी को क्षति की संभावना की जांच करने के लिए संगत आंकड़े प्रदान करना है।

ण. यदि कोई पक्षकार पाटन या क्षति मार्जिन का पुन: निर्धारण चाहता है तो उसे मध्यावधि समीक्षा जांच के लिए प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

त. पाटनरोधी शुल्क 2018 से मौजूद है। अंतिम उपभोक्ताओं पर उक्त शुल्क का प्रभाव कोई नई बात नहीं होगी। कोई प्रभाव, जो पड़ा हो, वर्तमान शुल्क अवधि के दौरान भी पहले से पड़ा है।

थ. घरेलू उद्योग द्वारा और डाउनस्ट्रीम उद्योग द्वारा प्रदत्त शुल्क प्रभाव आकलन के बीच भारी अंतर दर्शाता है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग की बिक्री कीमत और अंतिम उपभोक्ता को अंतिम कीमत के बीच भारी अंतर मौजूद है।

यदि यह स्वीकार भी किया जाए कि पाटनरोधी शुल्क से डाउनस्ट्रीम उद्योग की कीमत पर कोई प्रभाव पड़ता है तो वे अपनी कीमत में वृद्धि करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा अंतिम उपभोक्ता पर प्रभाव नगण्य है।

द. यह तथ्य कि वर्ष 2020-21 में गैर-संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के भारी आयात हुए हैं, यह दर्शाता है कि यदि डाउनस्ट्रीम उद्योग चाहें तो अन्य स्रोत भारतीय बाजार में आपूर्ति कर सकते हैं।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

116. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात के अनुरोधों की जांच की है, और यह नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां दोहराव हैं जिनकी पहले ही प्रकटन विवरण के संगत पैराओं में उपयुक्त रूप से जांच और पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है:

117. प्राधिकारी झेजियांग से किसी उत्पादक से संबंधित क्षमता विस्तार सूचना की उपयुक्तता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध को नोट करते हैं जिनका उपयोग कम फैटी अमाइंस के सभी प्रकारों के उत्पादन में किया जा सकता है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तथ्य को देखते हुए कि पीयूसी के लिए उत्पादन हेतु समर्पित क्षमता अपेक्षित नहीं है और उद्योग अधिकांशत: उसी संयंत्र के भीतर अनेक प्रकार के अमाइंस का उत्पादन करते हैं, पीयूसी से संबंधित सूचना का तब तक अलग से आकलन संभव नहीं है जब तक उसके संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाएं। यह भी नोट किया जाता है कि प्रयोक्ता उद्योग ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो पीयूसी के उत्पादन के लिए समर्पित क्षमता के विशिष्ट आकलन में मदद कर सके।

118. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि केवल अधिशेष क्षमताओं के आधार पर संभावना की मौजूदगी संबंधी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने अनुबंध-II के पैरा 7 में यथा-निर्धारित संभावना संबंधी मानदंडों की मौजूदगी का विश्लेषण किया है। तद्नुसार, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के निर्यातोन्मुख होने, तीसरे देश को क्षति और संबद्ध देश से पाटित आयातों तथा भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता का

विश्लेषण किया है। संभावना की मौजूदगी का निर्धारण ऊपर बताए गए कारकों के विश्लेषण के बाद किया गया है।

119. घरेलू उद्योग द्वारा शुरु की गई अनेक क्षमता विस्तार परियोजनाओं के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के बारे में यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने बताया है कि वह केवल अपने पातालगंगा स्थल पर पीयूसी का उत्पादन करता है। इसके अलावा, जैसा ऊपर बताया गया है, क्षमता विस्तारों से संबंधित कोई लागत पीयूसी के लिए लागत के आबंटन से संबंधित नहीं है।

120. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों में सुधार संबंधी अनुरोधों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने प्रकटन विवरण में पहले ही घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों की जांच की है। शुल्क लगने के साथ आवेदक के निष्पादन में सुधार हुआ है। यद्यपि आवेदक पहले घाटा उठा रहा था, तथापि पाटनरोधी शुल्क से उसकी स्थिति में सुधार हुआ है।

121. अन्य इच्छुक पार्टियों ने ट्रेड नोटिस संख्या 10/2018 के आवेदक द्वारा गैर-अनुपालन के संबंध में टिप्पणी की है। यह नोट किया जाता है कि ट्रेड नोटिस संख्या 05/2021 के तहत घरेलू उद्योग के लिए आवेदन प्रपत्र में बदलाव किया गया था। ट्रेड नोटिस संख्या 05/2021 के अनुसार आरएंडडी व्यय, औसत उद्योग मानदंड, जुटाई गई धनराशि, प्रति यूनिट बिक्री की लागत आदि जैसे पैरामीटर प्रोफार्मा का हिस्सा नहीं हैं। इसलिए, आवेदक ने अपने आवेदन के हिस्से के रूप में इसे जमा नहीं किया है।

122. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने चीन जन.गण. में पीयूसी की अधिशेष और अप्रयुक्त क्षमताओं से संबंधित बाजार-अनुसंधान-आधारित सूचना की अविश्वसनीयता के संबंध में बताया है। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने अधिशेष क्षमता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त बाजार अनुसंधान आधारित सूचना पर विचार नहीं किया है।

123. इस अनुरोध के संबंध में कि डाउनस्ट्रीम उद्योग में वृद्धि के कारण चीन में संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि होने की संभावना है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण नए तथ्यों को सामने लाने का स्तर नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन विवरण जारी होने के पहले मांग में वृद्धि संबंधी साक्ष्य प्रदान करना चाहिए था। तथापि, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में पीयूसी की मांग में वृद्धि के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ग्लाइफोसेट जो एक अंतिम उत्पाद है, की मांग में वृद्धि के परिणामस्वरूप वृद्धि के साक्ष्य का अवलोकन किया है। यह नोट किया जाता है कि इस अनुच्छेद के लेखक ने ऐसी संख्याओं को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त

पद्धति संबंधी सूचना का प्रकटन नहीं किया है। इसके अलावा, क्या यह निष्कर्ष सूचना के विश्वसनीय स्रोत पर आधारित है, यह भी स्पष्ट नहीं है। अत:, उपर्युक्त के मद्देनजर प्रकटन पश्चात स्तर पर सूचना प्रस्तुत करने के अतिरिक्त प्राधिकारी प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार नहीं कर सकते हैं।

124. उपयोगकर्ता उद्योगों द्वारा उनके डेटा की अस्वीकृति से संबंधित तर्क के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि उपयोगकर्ता उद्योगों द्वारा प्रदान की गई संपूर्ण जानकारी को अस्वीकार नहीं किया गया है। उपयोगकर्ता उद्योग ने अपनी उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य पर एंटी-डंपिंग शुल्क का प्रभाव प्रदान किया था। रिकॉर्ड में प्रस्तुत की गई जानकारी के अवलोकन पर, यह पाया गया कि दो उपयोगकर्ता उद्योगों द्वारा निर्मित अंतिम उत्पाद की रूपांतरण लागत में काफी अंतर है। जहां एक उपयोगकर्ता ने *** रुपये प्रति लीटर की रूपांतरण लागत प्रदान की, वहीं दूसरे उपयोगकर्ता ने *** रुपये प्रति किलोग्राम की रूपांतरण लागत प्रदान की। प्राधिकरण ने डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ता उद्योग की बिक्री कीमत के संबंध में जानकारी मांगी और उसका सत्यापन करने के बाद डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ता उद्योग द्वारा प्रदान की गई कीमतों पर एंटी-डंपिंग शुल्क के प्रभाव पर विचार किया। हालांकि, रूपांतरण लागत में महत्वपूर्ण भिन्नता को देखते हुए, प्राधिकरण डाउनस्ट्रीम उद्योग के उत्पादन की कुल लागत में कुल कच्चे माल की लागत के हिस्से की जांच करने में सक्षम नहीं था।

125. अंतिम उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त पद्धति के प्रकटन संबंधी दलील के संबंध में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना पर भरोसा किया है। कीमतों संबंधी सूचना घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का हिस्सा थी और प्रयोक्ता उद्योग के साथ साझा की गई थी।

126. बाजार हिस्से के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष के दौरान आयातों का बाजार हिस्सा 38 प्रतिशत था जो आगामी वर्ष में गिरावट के बाद वर्ष 2020-21 में पुन: बढ़ा और आयातों का बाजार हिस्सा 28 प्रतिशत हो गया जो काफी अधिक था। पीओआई के दौरान यद्यपि चीन जन.गण. से संबद्ध आयातों के हिस्से में गिरावट आई और वह बाजार का 10 प्रतिशत हो गया परंतु यह भी पर्याप्त बाजार हिस्सा है।

127. पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा दर्ज वृद्धि के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के बारे में यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2020-21 में कच्ची सामग्री की कमी, कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि कम कीमत वाले

आयातों में भारी वृद्धि और कारखाने के बंद होने के कारण घरेलू उद्योग के वृद्धि संबंधी मानदंडों की स्थिति काफी खराब हो गई थी। परिणामस्वरूप, पूर्ववर्ती वर्ष से पीओआई में घरेलू उद्योग के मापदंडों की तुलना तब तक सही नहीं होगी जब तक पूरी क्षति अवधि के संदर्भ में उसका विश्लेषण नहीं किया जाए।

128. आपूर्ति के अनियमित स्रोतों से संबंधित अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2020-21 में, कई कारणों से विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन गिर गया था। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में गिरावट से उत्पन्न रिक्तता को गैर-संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों द्वारा तेजी से भर दिया गया। हालांकि, यह डाउनस्ट्रीम उद्योग को उनके अंतिम उत्पादों के लिए कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति के झटकों से बचाने के लिए एक मजबूत घरेलू उद्योग की आवश्यकता को स्थापित करता है।

129. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग क्षति रहित कीमत पर बिक्री करने में सक्षम रहा है। लागू पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के कारण घरेलू उद्योग लगभग गैर - क्षतिकारक कीमत के स्तर पर बिक्री कीमत हासिल करने में सक्षम रहा है । यद्यपि क्षति रहित कीमत एक धारणात्मक कीमत है जिसे किसी अवधि विशेष में लागत के आधार पर यह जांच करने के लिए निर्धारित किया जाता है कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क की राशि क्षति का समाधान करने के लिए पर्याप्त होगी, तथापि बिक्री कीमत बाजार की शक्तियों पर निर्भर होती है। किसी भी तरह प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत और बिक्री कीमत, दोनों की तुलना की है और पाया कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत वास्तव में कम है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण नियमावली के अनुबंध II के पैरा 4 में निर्धारित क्षति पैरामीटरों के विश्लेषण द्वारा किया गया है।

130. कीमत कटौती और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के बीच सह-संबंध के बारे में प्रयोक्ता उद्योग के अनुरोध के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में पहले ही जांच की है कि इन दोनों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा अपनी कीमतें बढ़ा सकने संबंधी अनुरोध के बारे में प्राधिकारी ने सौदा-वार आयात आंकड़ों की भी जांच की है। आयात आंकड़ों की जांच भी की थी और यह पाया कि 77 प्रतिशत आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम पर हुए हैं और 76 प्रतिशत आयात घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम पर हुए हैं।

131. प्रयोक्ता उद्योग ने बताया है कि संबद्ध वस्तु की कीमतें तब अधिक होती हैं जब उन्हें शुल्क मुक्त स्कीमों के अंतर्गत आयात किया जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस अनुरोध के समर्थन में प्रयोक्ता उद्योग ने कोई साक्ष्य नहीं दिया है। प्राधिकारी ने अपनी संगत प्रक्रिया के अनुसार शुल्क मुक्त और शुल्क प्रदत्त श्रेणी में समग्र रूप से आयातों की जांच की है।

ड. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

132. दी गई दलीलों, प्रदत्त सूचना, किए गए अनुरोधों और ऊपर यथा दर्ज प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के उक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि:

क. आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अन्तर्गत घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के अन्तर्गत अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ख. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन जारी है। पाटन और क्षति मार्जिन सकारात्मक हैं।

ग. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद पाटित आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, तथापि आयातों की मात्रा पर्याप्त बनी हुई है।

घ. आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है। तथापि, पाटनरोधी लागू शुल्क ने यह सुनिश्चित किया है कि आयातों से कीमतों पर कोई खास न्यूनकारी/ह्रासकारी प्रभाव न पड़े।

ड. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्से में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

च. घरेलू उद्योग का निष्पादन मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के कारण जांच अवधि में सुधरा है।

छ. यह तथ्य कि शुल्क लागू होने के बाद भी पाटित आयात जारी हैं, इस बात की प्रबल संभावना दर्शाता है कि यदि शुल्क हटाए जाते हैं तो संबद्ध आयातों की मात्रा में काफी उच्च दर से वृद्धि होगी।

ज. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से तीसरे देशों को लगभग 100 प्रतिशत निर्यात पाटित कीमतों पर हुए हैं।

झ. यह देखा गया है कि तीसरे देशों को संबद्ध देश से लगभग 100 प्रतिशत निर्यात क्षतिकारी कीमत पर हुए हैं।

ञ. संबद्ध देश से तीसरे देशों को निर्यात भारत को निर्यात कीमत से वास्तविक रूप से कम कीमत पर हुए हैं। तदनुसार, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि भारतीय बाजार चीन के निर्यातकों को लाभकारी कीमत सुलभ कराता है।

ट. पाटनरोधी शुल्क के गैर-मौजूदगी में घरेलू उद्योग की कीमतों पर आयातों का प्रतिकूल प्रभाव काफी अधिक होगा।

ठ. यदि घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तु की आयात कीमत के बराबर कीमत पर बिक्री करने को बाध्य होना पड़ा तो उसे वित्तीय घाटे, नकद घाटे और निवेश पर ऋणात्मक आय झेलनी पड़ेगी।

ड. संबद्ध देश में उत्पादक अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं।

ढ. तदनुसार, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि यदि शुल्क हटाया जाता है तो पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ण. भारतीय बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है और पाटनरोधी शुल्क जारी रहने से प्रयोक्ता उद्योग अपनी जरूरतों से वंचित नहीं होगा।

त. अंतिम उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव मामूली है।

133. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरु की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन और क्षति के जारी रहने/उनकी पुनरावृत्ति की संभावना के पहलुओं संबंधी सूचना देने का पर्याप्त अवसर दिया गया था।

134. इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तो पाटन तथा क्षति के जारी रहने/उनकी पुनरावृत्ति की संभावना है, प्राधिकारी का विचार है कि संबद्ध देशों से पीयूसी के आयातों पर शुल्क जारी रखना आवश्यक है। प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि शुल्क की कितनी राशि की सिफारिश की जाए जो ऊपर यथा-संचालित संभावना विश्लेषण के अनुसार पाटन/क्षति को कम कर देगी। भारत को और शेष विश्व को संबद्ध देशों से पाटित और क्षतिकारी आयातों की मात्रा पर विचार किया गया है।

135. पूर्वोक्त परिस्थितियों के अन्तर्गत, प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की मौजूदा राशि को जारी रखने की सिफारिश करना उचित समझते हैं, जो संबद्ध देशों से पाटन और क्षति की संभावना का समाधान करेगी और उसे कम करेगी। इस प्रकार प्राधिकारी, अधिसूचना सं. 14/2018 - सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 मार्च, 2018 द्वारा लागू मौजूदा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं। मूल जांच में भाग लेने वाले परंतु इस समीक्षा जांच में उत्तर नहीं देने वाले उत्पादकों को असहयोगी माना गया है और तद्नुसार, उन्हें शुल्क की अवशिष्ट श्रेणी प्रदान की गई है।

136. इस प्रकार, प्राधिकारी, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दी गई राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करना उपयुक्त और आवश्यक समझते हैं। अत: ऊपर यथा-निर्धारित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क आगामी पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से लागू करने की सिफारिश की जाती है।

133. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरु की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन और क्षति के जारी रहने/उनकी पुनरावृत्ति की संभावना के पहलुओं संबंधी सूचना देने का पर्याप्त अवसर दिया गया था।

134. इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तो पाटन तथा क्षति के जारी रहने/उनकी पुनरावृत्ति की संभावना है, प्राधिकारी का विचार है कि संबद्ध देशों से पीयूसी के आयातों पर शुल्क जारी रखना आवश्यक है। प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि शुल्क की कितनी राशि की सिफारिश की जाए जो ऊपर यथा-संचालित संभावना विश्लेषण के अनुसार पाटन/क्षति को कम कर देगी। भारत को और शेष विश्व को संबद्ध देशों से पाटित और क्षतिकारी आयातों की मात्रा पर विचार किया गया है।

135. पूर्वोक्त परिस्थितियों के अन्तर्गत, प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की मौजूदा राशि को जारी रखने की सिफारिश करना उचित समझते हैं, जो संबद्ध देशों से पाटन और क्षति की संभावना का समाधान करेगी और उसे कम करेगी। इस प्रकार प्राधिकारी, अधिसूचना सं. 14/2018 - सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 मार्च, 2018 द्वारा लागू मौजूदा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं। मूल जांच में भाग लेने वाले परंतु इस समीक्षा जांच में उत्तर नहीं देने वाले उत्पादकों को असहयोगी माना गया है और तदनुसार, उन्हें शुल्क की अवशिष्ट श्रेणी प्रदान की गई है।

136. इस प्रकार, प्राधिकारी, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दी गई राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करना उपयुक्त और आवश्यक समझते हैं। अत: ऊपर यथा-निर्धारित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क आगामी पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से लागू करने की सिफारिश की जाती है।

<u>शुल्क तालिका</u>

क्र.सं.	शीर्ष/ उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29211190 और 29211990	मोनो आइसोप्रोपाइलेमाइन	चीन जन.गण.	चीन सहित कोई देश	कोई उत्पादक	620.00	एमटी	यूएस डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन के अलावा कोई देश	चीन जन.गण.	कोई उत्पादक	620.00	एमटी	यूएस डॉलर

137. इस अधिसूचना के उद्देश्य से संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा-निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क,8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार से सीमा शुल्क शामिल हैं।

ढ. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

138. इस सिफारिश से उत्पन्न केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी